अध्याय दो

अनुसूची 0.0 : परिवारों की सूची

2.0.0 परिचय : अनुसूची 0.0, प्रतिदर्श प्रथम चरण इकाई (प्र.च.इ.) या बड़ी प्र.च.इ. के मामले में खेड़ा-समूह/उप-खण्ड के सभी मकानों और उनमें रहने वाले परिवारों के सूचीकरण के लिए है । कुछ पारिवारिक विवरण जैसे परिवार का आकार, आपेक्षिक सम्पन्नता, क्या मुख्य अर्जन गैर-कृषि कार्यकलापों से है, मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय (मा.प्र.उ.व्य.) आदि भी एकत्र किये जाने हैं । इन सहायक सूचनाओं का उपयोग परिवारों को विभिन्न द्वितीय चरण स्तरों (द्वि.च.स्त.) में वर्गीकृत करने के लिए किया जाएगा । परिवारों के चयन के लिए प्रतिचयन ढांचा तैयार किया जाएगा और प्रतिदर्श परिवारों के चयन का ब्यौरा इस अनुसूची में दर्ज किया जाएगा । जब कभी खेड़ा समूह/उप-खंडों (खे.स./उ.ख.) के गठन की आवश्यकता पड़ती है, खे.स./उ.खंडों के गठन और चयन से संबंधित विवरण भी इस अनुसूची में दर्ज किये जाने हैं । विभिन्न मदों की संकल्पनायें और परिभाषायें अध्याय एक में दी गयीं हैं ।

2.0.1 अनुसूची की संरचना : अनुसूची 0.0 में निम्नलिखित खण्ड शामिल हैं :

खण्ड 0	:	प्रतिदर्श प्रचइ की विवरणात्मक पहचान
खण्ड 1	:	प्रतिदर्श प्रचइ की पहचान
खण्ड 2	:	क्षेत्र संकार्य के विवरण
खण्ड 3	:	खंड़ा-समूह/उप-खण्ड के गठन का मानचित्र
खण्ड 4.1	:	खेड़ों की सूची (केवल खेड़ा समूह गठन वाले ग्रामीण प्रतिदर्शों के लिए)
खण्ड 4.2	:	खेड़ा समूहों/उप-खण्डों की सूची और उनका चयन
खण्ड 5	:	परिवारों की सूची एवं परिवारों के लिए चयन का अभिलेख (खे.स./उ.ख. 1/2)
खण्ड 5.1	:	अपेक्षाकृत सम्पन्न परिवारों की पहचान के लिए कार्य-पत्रक (खे.स. 1/2) (केवल ग्रामीण)
खण्ड 6	:	परिवारों के प्रतिचयन का विवरण
खण्ड 7	:	निकटतम सुविधा से ग्राम की दूरी, कुछ सुख साधनों की उपलब्धता और एमजीनरेगा कार्यों में भागीदारी (केवल बसे हुए ग्रामों के लिए)
खण्ड 8	:	अन्वेषक/सहायक पर्यवेक्षी अधीकारी द्वारा अभ्युक्ति
खण्ड 9	:	पर्यवेक्षी अधिकारी/अधिकारियों की टिप्पणी

2.0.2 सर्वेक्षण इकाई और प्रतिचयन ढांचा : ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम चरण इकाई (प्र.च.इ.) 2001 जनगणना ग्राम है । नगरीय क्षेत्र में, प्र.च.इ. नगरीय ढांचा सर्वेक्षण (न.ढां.स.) खण्ड है । *नगरीय प्रतिदर्श के चयन के लिए जहां तक संभव हो, अद्यतन न.ढां.स. खंडों की सूची का उपयोग किया जाएगा । अतः नगर, न.ढां.स. के विभिन्न चरणों में हो सकते हैं ।* प्रतिदर्श सूची में 'ढांचा संकेतांक' शीर्ष के अन्तर्गत यह दर्शाया गया है कि किस विशेष नढांस चरण का उपयोग प्रतिचयन ढांचे के रुप में एक नगर की प्रचइयों के चयन के लिए किया गया है । अन्वेषक, एक प्रतिदर्श प्र.च.इ. में पहुंचने के बाद, प्रतिदर्श प्र.च.इ. की सीमाओं को सुनिश्चित करेगा । ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पदाधिकारियों, जैसे पटवारी, पंचायत प्राधिकारी आदि की सहायता से और नगरीय क्षेत्र में न.ढां.स. मानचित्रों/वार्ड मानचित्रों/नगर मानचित्रों की सहायता से किया जा सकता है ।

2.0.3 खेड़ा-समूहों (खे.स.) का गठन एवं खेड़ा-समूह 1 और 2 का चयन : मुख्यतः परिवारों के सूचीकरण के समय कार्यभार को नियंत्रित करने की दृष्टि से खेड़ा-समूह गठन प्रभाग होंगे, जिन्हें खेड़ा समूहें (खे.स.) कहा जायेगा । गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूहों की संख्या (अर्थात D का मान) प्रतिदर्श ग्राम की *औसत वर्तमान जनसंख्या* पर निर्भर करेगी । एक बड़े ग्राम में गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूहों की संख्या को सुनिश्चित करने के मापदंड पर अध्याय एक में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है ।

बड़े प्रतिदर्श ग्राम के लिए, दो खे.स. चुने जायेंगे । ग्राम में गठित सभी खेस में से उच्चतम जनसंख्या प्रतिशत वाले को प्रायिकता 1 से चुन लिया जायेगा । यदि एक से अधिक खेस एक ही उच्चतम जनसंख्या प्रतिशत वाले हैं तो उनमें से जिसका सूचीकरण खंड 4.2 में पहले हुआ है उसे प्रायिकता 1 से चुना जायेगा । निश्चितता पूर्वक चुने गये इस खेस को खेस 1 कहा जायेगा । ग्राम के शेष बचे खेसहों में से दूसरा खेस यादृच्छिक रूप से (सरल यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा) चुना जायेगा और उसे खेस 2 कहा जायेगा । परिवारों का सूचीकरण और चयन प्रत्येक चयित खेड़ा समूह के लिए अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से किया जायेगा । बगैर खेस गठन वाले प्रतिदर्श ग्राम के लिए संपूर्ण ग्राम को खेड़ा-समूह 1 मान लिया जायेगा ।

खेड़ों के सूचीकरण एवं खेड़ा-समूहों के गठन की क्रियाविधि नीचे दी गयी है ।

2.0.3.1 क्रियाविधि : एक बड़े ग्राम में सामान्यतः कुछ टोले या पाकेट विद्यमान होते हैं जहाँ ग्राम के मकान एक साथ झुंड में बसे होते हैं । इन्हें 'खेड़ा' कहा जाता है । यदि ग्राम में ऐसा कोई ज्ञात खेड़ा नहीं है तो ग्राम के जनगणना उप-प्रभागों (उदाहरणार्थ गणना खंडों या जनगणना मकान संख्याओं के समूह या मकानों के भौगोलिक रुप से पृथक खंडों) को 'खेड़ा' माना जा सकता है । खेड़ा-समूह गठन के उद्देश्य के लिए जनसंख्या धारिता में कमोवेश समानता रखने के लिए बड़े खेड़ों को कृत्रिम रुप से विभाजित किया जा सकता है । खेड़ा-समूहों के गठन की क्रियाविधि को उसमें निहित चरणों को निम्न अनुक्रम में सूचीबद्ध करके समझा जा सकता है :-

(i) ऊ पर वर्णित विधि से खेड़ों की पहचान करें ।

(ii) प्रत्येक खेड़े की वर्तमान लगभग जनसंख्या का निर्धारण करें ।

(iii) खेड़ों की लगभग ठीक अवस्थितियों को दर्शाते हुए, खंड 3 में एक काल्पनिक मानचित्र बनायें और उत्तर पश्चिमी कोने से आरंभ करके दक्षिण की ओर जाते हुए सर्पाकार क्रम में उन्हें संख्यांकित करें। मानचित्र बनाते समय, ग्राम के गैर-आबादी वाले क्षेत्रों को नजदीकी खेडे के एक हिस्से के रुप में शामिल कर लिया जायेगा जिससे ग्राम का कोई क्षेत्र छूट न जाए । खेड़ों की सीमाओं को कुछ भूमि-चिह्नों जैसे नहर, पैदलपथ, रेल पथ, सड़क, भूकर सर्वेक्षण भूखंड संख्याओं आदि से परिभाषित कर दें जिससे ग्राम में गठित होने वाले खेड़ा- समूहों की भौगोलिक सीमा रेखाओं की पहचान और अवस्थिति की जानकारी सम्भव हो सके ।

(iv) खंड 4.1 में खेड़ों को उनकी संख्या के क्रम में सूचीबद्ध करें और वर्तमान जनसंख्या धारिता को प्रतिशत में दर्शायें ।

(v) खेड़ों का समूहीकरण 'D' खेड़ा-समूहों में करें । खेड़ा-समूह गठन के लिए अपनाये जाने वाले मापदंड जनसंख्या धारिता में समानता और भौगोलिक रुप से पास-पास स्थित होते हैं (खेड़ों के संख्यांकन को समूहीकरण के लिए दिशानिर्देश के रुप में नहीं अपनाना है) । यदि इन दोनों पहलुओं के बीच कोई विरोध पाया जाता है तो भौगोलिक रुप से पास-पास होने की स्थिति को प्राथमिकता दी जायेगी । तथापि, गठित सबसे छोटे और सबसे बड़े खेड़ा-समूहों की जनसंख्या में काफी बड़ा अन्तर नहीं होना चाहिए । समूहीकरण को मानचित्र में दर्शायें ।

(vi) इसके बाद खंड 4.2 के कालम (1) में खेड़ा-समूहों का क्रमवार संख्यांकन करें । जिस खेड़ा-समूह में खेड़ा संख्या-1 है उसे संख्या 1 दी जायेगी, अगली उच्च खेड़ा संख्या, जो खे.सं. 1 में शामिल नहीं है वाले खेड़ा समूह को संख्या 2 दी जायेगी और इसी प्रकार आगे । संख्याओं को काल्पनिक मानचित्र में भी दर्शायें । यह सम्भव है कि एक खेड़ा-समूह की रचना लगातार क्रम संख्याओं वाले खेड़ों से न हुई हो ।

2.0.4 उप खण्डों का गठन : यदि जनसंख्या के आधार पर प्रतिदर्श न.ढ़ां.स. खंड बड़ा पाया गया तो उसमें उप खंडों का गठन करना पड़ता है । उप-खंडों के गठन की प्रक्रिया वही है, जो बड़े ग्रामों में खेड़ा समूहों के गठन के लिए अपनायी जाती है । यहां उप खण्डों का गठन कृत्रिम रूप से प्रचइयों को प्रभागों की एक निश्चित संख्या (मान लें D) में विभाजित करके की जानी है । ऐसा करते समय अध्याय एक में निर्दिष्ट मापदण्ड के

अनुसार प्रत्येक उप खण्ड में भौगोलिक संहतता (Compactness) को प्राथमिकता देते हुए जनसंख्या की न्यूनाधिक समानता का ध्यान रखा जायेगा । गठित किए जाने वाले उप खंडों की संख्या (अर्थात् D के मूल्य) का निर्धारण उसी मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा, जो ग्रामीण प्र.च.इ.यों के मामले में अपनाया गया था । उप खण्डों का संख्यांकन क्रमवार खण्ड 4.2 के कालम (1) में किया जायेगा । प्रत्येक उप खण्ड के लिए लगभग वर्तमान जनसंख्या का निर्धारण कुल जनसंख्या की प्रतिशतता में करें ।

ग्रामों के जैसे ही, बड़े प्रतिदर्श प्रचइयों के लिए, दो उप खंडों का चयन किया जायेगा । चयन की प्रक्रिया वही होगी जो खेस गठन वाले ग्रामों के लिए दी गई है - एक प्रायिकता-1 सहित और दूसरा एसआरएस सहित/ परिवारों का सूचीकरण और चयन प्रत्येक चयित उप खंड के लिए अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से किया जायेगा । बगैर उप-खंड गठन वाली नगरीय प्रतिदर्श प्रचइयों के लिए पूरी प्रचइ को उप-खंड-1 माना जाएगा ।

2.0.5 सूचीकरण के लिए प्रारम्भ बिंदु : सर्वेक्षण की जाने वाली क्षेत्रीय इकाई के निर्धारण के पश्चात् अन्वेषक मकानों और परिवारों की सूची बनाने में लग जाएगा । सूचीकरण उसी क्रम में किया जाएगा जैसा कि 2001 जनगणना में मकान सूचीकरण का क्रम है । यदि मकान सूचीकरण का जनगणना क्रम उपलब्ध नहीं है तो सूचीकरण प्रचइ के उत्तर पश्चिमी कोने से आरम्भ करके दक्षिण की ओर सर्पाकार क्रम में बढ़ते हुए किया जाए । परिवारों के सूचीकरण के समय, उनके सम्बन्ध में कुछ आवश्यक न्यूनतम विवरण द्वितीय चरण स्तर के उद्देश्य से एकत्र किए जायेंगे ।

2.0.6 खण्ड 4.1, 4.2, 5, 5.1 के अतिरिक्त पत्रकों का उपयोग : जब एक अनुसूची पुस्तिका प्रतिदर्श प्र.च.इ./खे.स./उ.ख. के सभी खेड़ों एवं खेड़ा-समूहों/उप खंडों (खण्ड 4.1, 4.2) या सभी परिवारों (खण्ड 5) अथवा अपेक्षाकृत समृद्ध परिवारों (खंड 5.1) को सूचीबद्ध करने के लिए पर्याप्त न हो, तो संगत खण्डों वाले अतिरिक्त पत्रकों का उपयोग किया जाएगा और उन्हें मुख्य अनुसूची में ठीक से बांध दिया जाएगा ।

2.0.7 अनुसूची 0.0 के विभिन्न खण्डों को भरने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधियों की व्याख्या आगे के अनुच्छेदों में की गई है । खण्डों को भरने से पहले यह आवश्यक है कि अनुसूची के प्रथम पृष्ठ पर बांयी ओर और दांयी ओर ऊपरी कोने में उपयुक्त कक्ष में सही चिह्न लगा दिया जाय ।

खण्ड 0 : प्रतिदर्श प्र.च.इ. की विवरणात्मक पहचान

2.0.8 सामान्य : यह खण्ड प्रतिदर्श प्र.च.इ. की विवरणात्मक पहचान के विवरणों को दर्ज करने के लिए है । राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र, ज़िला, तहसील/नगर का नाम (उपयुक्त कक्ष में सही चिह्न लगायें), ग्राम का नाम, वार्ड सं., अन्वेषक (IV) इकाई संख्या, खण्ड संख्या प्रतिदर्श सूची से नकल करके उपयुक्त स्थान पर दर्ज की जाएंगी ।

खण्ड 1 : प्रतिदर्श प्र.च.इ. की पहचान

2.1.0 सामान्य : यह खण्ड प्रतिदर्श प्र.च.इ. की पहचान के विवरणों को संकेतांकों या संख्याओं में दर्ज करने के लिए है । सभी मदों से सम्बन्धित विवरण खण्ड में प्रत्येक मद के सामने दी गई चौकोर खाली स्थान में दर्ज किये जायेंगे (मद 2 और 3 को छोड़कर, जिनका संकेतांक पहले ही मुद्रित है) । अनेक कक्षों के लिए, सबसे दाहिनी ओर के कक्ष में इकाई अंक एवं उसके बाद के बांयें कक्ष में दहाई अंक एवं इसी प्रकार आगे भरा जायेगा । *मद 1, 4 से 11, 13 और 14 को प्रतिदर्श सूची से नकल करके भरा जायेगा ।*

2.1.1 मद 12 : क्षे.सं.प्र. उप-क्षेत्र : जिस क्षे.सं.प्र. उप-क्षेत्र में प्रतिदर्श प्र.च.इ. पड़ती है उससे संबंधित चार अंकों वाला संकेतांक मद 12 में दर्ज किया जाएगा । *राज्य प्रतिदर्शों के लिए और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के केन्द्रीय प्रतिदर्शों, जिनके क्षेत्र-कार्य संबंधित राज्यों द्वारा किये जाते हैं, के लिए भी इस मद में एक '-' चिह्न लगा दिया जाएगा ।*

2.1.2 मद 13 : ढाँचा संकेतांक : प्र.च.इ(यों) के चयन के लिए उपयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ढांचों को प्रतिदर्श सूची में ''ढाँचा संकेतांक'' से दर्शाया गया है । मद सं. 13 में प्रविष्टि प्रतिदर्श सूची से नकल करके की जायेगी । उपयोग किये जाने वाले ढाँचा संकेतांक हैं :-

ग्रामीण : 2001 जनगणना - 13,
नगरीय : 1982-87 न ढां स - 06; 1987-92 न.ढां.स. - 07; 1992-97 न.ढां.स. - 09;
1997-2002 न.ढां.स. - 11; 2002-2007 न.ढां.स. - 14; 2007-2012 न.ढां.स. - 15

2.1.3 मद 14 : ढांचा जनसंख्या परिवार : प्रतिदर्श प्र.च.इ. की जनसंख्या या परिवारों की संख्या, जो प्रतिदर्श सूची में दी गयी हैं, वह यहाँ नकल की जायेगी । ग्रामीण प्रतिदर्शों के लिए यह जनगणना 2001 जनसंख्या होगी और नढांस खंडों के लिए यह नढ़ास ढांचे के अनुसार नढांस खंड में परिवारों की संख्या होगी ।

2.1.4 मद 15 : लगभग वर्तमान जनसंख्या : सर्वप्रथम अन्वेषक समूचे प्रतिदर्श प्र.च.इ. की लगभग वर्तमान जनसंख्या का निश्चित पता जनसंख्या की सामान्य वृद्धि और साथ ही प्रतिदर्श प्र.च.इ. में जनसंख्या के असामान्य समागम या जनसंख्या के निर्गमन पर भी ध्यान रख कर करेगा । प्रधानतः जानकार व्यक्तियों से कुछ खोजी प्रश्न पूछकर इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है । आरम्भिक बिन्दु 2001 जनगणना जनसंख्या हो सकती है । **यदि जनगणना जनसंख्या से बड़ा अंतर पाया जाता है** तो यह पूछा जाए कि जनगणना के पश्चात् या ग्राम के बंट जाने या अन्य ग्राम/नगर क्षेत्र में अंशतः मिल जाने के पश्चात् क्या प्र.च.इ. में कोई असामान्य समागम या निर्गमन हुआ है और यदि ऐसा है, तो जनगणना के बाद ऐसी घटनाओं या कोई नया अधिवास बसने के फलस्वरूप जनसंख्या में हुई लगभग वृद्धि या कमी का पता किया जाना है । यदि ढांचा जनसंख्या और लगभग वर्तमान जनसंख्या के बीच के बड़े अंतर को मध्यवर्ती अवधि के दौरान जनसंख्या की संभावित वृद्धि या कमी के रूप में दिखाना कठिन हो तो ऐसी कठिनाइयों के बारे में खंड 8/9 में पर्याप्त अभ्युक्तियां दी जानी चाहिए ।

2.1.5 मद 16 : गठित खेड़ा-समूहों/उप-खण्डों की कुल संख्या (D) : प्रतिदर्श प्र.च.इ. में गठित खेड़ा-समूहों/उप-खण्डों की कुल संख्या खण्ड 4.2 में दर्ज 'D' के मान के बराबर होगी । यदि प्रतिदर्श प्र.च.इ. में किसी खेड़ा-समूह/उप-खण्डों के गठन की आवश्यकता नहीं है तो इस मद की प्रविष्टि "1" होगी ।

2.1.6 मद 17 : सर्वेक्षण संकेतांक : विभिन्न सर्वेक्षण संकेतांक हैं :-

चयित प्र.च.इ. का सर्वेक्षण किया गया :-
बसा हुआ 1
बसा हुआ नहीं 2
शून्य मामला 3
चयित प्र.च.इ. आहत है परंतु एक प्रतिस्थापित प्र.च.इ. का सर्वेक्षण किया गया :-
बसा हुआ 4
बसा हुआ नहीं 5
शून्य मामला 6
चयित प्र.च.इ. आहत है और किसी प्रतिस्थापी का सर्वेक्षण नहीं हुआ है 7

"शून्य मामलों" के कुछ उदाहरण हैं : वे प्र.च.इ.(यां) जो पूर्णतः सैनिक और अर्ध-सैनिक बलों (जैसे पुलिस, सीमा सुरक्षा बल आदि) के बैरकों वाली है, शहरी क्षेत्र के रुप में घोषित ग्रामीण क्षेत्र जो अब शहरी प्रतिचयन हेतु शहरी ढांचा सर्वेक्षण के ढांचे का एक हिस्सा है, किसी बांध के पानी में पूरी तरह डूब चुकी प्र.च.इ. या फैक्टरी निर्माण अथवा कोई परियोजना निर्माण कार्य के लिए जमीन के अधिग्रहण किए जाने के कारण पूरी जनसंख्या वहां से अधिनिष्कासित कर दी गयी हो और भविष्य में उनके फिर से बसने की कोई सम्भावना नहीं है । इसके विपरीत, ऐसी प्र.च.इ. जिसकी पूरी आबादी कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, तूफान आदि के कारण अन्यत्र चली गयी हो, परन्तु भविष्य में उनके लौटने की सम्भावना हो, आबादी रहित प्र.च.इ. मानी जायेंगी और उनके लिए संकेतांक 2 अथवा 5 दर्ज किया जाएगा । यदि प्रतिस्थापित प्रचइ का सर्वेक्षण न किया जा सके तो सर्वेक्षण संकेतांक 7 होगा ।

2.1.7 मद 18 : मूल प्रतिदर्श के प्रतिस्थापन का कारण (मद 17 में संकेतांक 4-7 के लिए) : ऐसे सभी मामलों में जहां मूल चयनित प्रतिदर्श प्र.च.इ. आहत हो चाहे उसे प्रतिस्थापित एवं सर्वेक्षित किया गया हो या नहीं (अर्थात् जब मद 17 में संकेतांक 4 से 7 हो) तो उसके आहत होने का कारण मद 18 में संकेतांक के रुप में दर्ज किया जाएगा । संकेतांक निम्नलिखित हैं :-

मूल प्रतिदर्श प्र.च.इ. :

पहचानने योग्य/पता लगाने योग्य नहीं	1
अगम्य	2
प्रतिबंधित क्षेत्र जिसके सर्वेक्षण की अनुमति नहीं है	3
अन्य (निर्दिष्ट करें)	9

यदि मद 17 में प्रविष्टि 1 या 2 या 3 हो तो इस मद में एक '-' चिन्ह दे दिया जाय । पूर्णतः सैनिक और अर्ध-सैनिक बलों के बैरकों वाली प्र.च.इ.यों के मामलों को मद 18 में संकेतांक 3 दर्ज करने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं माना जाएगा । ऐसे मामले सर्वेक्षित माने जायेंगे और इन्हें शून्य मामलों के रुप में लिया जाएगा जैसा कि पहले बताया जा चुका है ।

2.2 खंड 2 : क्षेत्र संकार्यों के विवरण : क्षेत्र संकार्य के विवरणों को इस खंड में दर्ज किया जायगा । अनुसूची 0.0 पर पूछताछ में लगे समय को (इस खंड के कालम 3 क्रम सं. 4 में) दर्ज करते समय ध्यान रखा जाय कि प्रतिदर्श ग्राम में पहुँचने और वहाँ से वापसी में लगे समय को शामिल नहीं करना चाहिए । दूसरे शब्दों में प्रतिदर्श ग्राम/खंड सीमाओं की पहचान, खेड़ा समूह/उप खण्ड गठन, परिवारों का सूचीकरण, द्वितीय चरण स्तर बनाने, परिवारों के चयन और इन अनुसूची के अन्य सभी खंडों को भरने में लगे कुल समय को धंटों में दर्ज किया जाना है । अन्य सभी मदें स्वतः स्पष्ट हैं ।

2.3 खंड 3 : खेड़ा-समूह (खे.स.)/उप-खंड (उ.ख.) गठन का रेखाचित्र

2.3.0 : बड़ी प्रथम चरण इकाइयों जिनमें खे.स./उ.ख. का गठन आवश्यक है, के लिए खंड में दिए गए स्थान का उपयोग गठित खेड़ों और खेड़ा-समूहों/उप-खंडों की सीमाओं को दर्शाते हुए ग्राम (केरल के लिए पंचायत वार्ड)/खंड का एक मुक्त हस्त रेखाचित्र बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे बाद में उस रेखाचित्र की सहायता से क्षेत्र में उनकी पहचान की जा सके । इसे माप के अनुसार बनाने की आवश्यकता नहीं है । खेड़ों की क्रम संख्याएं, जो कि खंड 4.1 के कालम (1) में दी गई हैं, रेखाचित्र में प्रत्येक खेड़े पर लिख दी जायेंगी । खंड 4.2 के कालम (1) में दी गई खेड़ा समूह संख्या, जिसमें वह खेड़ा शामिल है, प्रत्येक खेड़े के सामने खेड़ा संख्या की दाहिनी ओर कोष्ठक में दिखाई जाएगी । इसी प्रकार उप खंडों को भी रेखाचित्र में संख्यांकित किया जाएगा । चुने गये खे.स./उ.खं. के क्षेत्र को रेखाचित्र में छायाकृत करके दिखाया जाएगा ।

2.4 खण्ड 4.1 : खेड़ों की सूची (केवल खेड़ा-समूह गठन वाले ग्रामीण प्रतिदर्शों के लिए) :

2.4.0 : यह खण्ड उन्हीं ग्रामीण प्रतिदर्शों के लिए भरा जाना है जिनमें खेड़ा समूहों के गठन की आवश्यकता है । (अर्थात् D>1 के लिए) । ग्राम में स्थित सभी खेड़ों का सूचीकरण विनिर्दिष्ट क्रम में किया जाएगा ।

2.4.1 कालम (1) से (3) : खेड़ों के लिए एक लगातार क्रम संख्या कॉलम (1) में दी जाएगी । खेड़ों के नाम कॉलम (2) में लिखे जाएंगे । प्रत्येक खेड़े की वर्तमान जनसंख्या, जन ग्राम की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में, कॉलम (3) में पूर्णांकों में दी जाएगी । कॉलम (3) की प्रविष्टियों का योगफल 100 होना चाहिये ।

2.5 खण्ड 4.2 : खेड़ा समूहों (खे.स.)/उप खण्डों (उ.ख.)की सूची और उनका चयन (नोट : कृपया अध्याय एक का पैरा 1.4.10 भी देखें ।)

2.5.0 सामान्य : यह खण्ड उन प्र.च.इ.यों के खे.स./उ.ख. गठन एवं उनके चयन के विवरण दर्ज करने के लिए है (अर्थात् D > 1 वाले) जिनमें खे.स/उ.ख. गठन की आवश्यकता है । खेड़ा समूहों/उप खण्डों के गठन एवं संख्यांकन की क्रियाविधि के लिए कृपया अनुच्छेद 2.0.3, 2.0.3.1 और 2.0.4 का संदर्भ लें ।

2.5.1 कॉलम (1) : खे.स./उ.ख. की क्रम संख्या : गठित खे.स./उप खण्डों को पैरा 2.0.3, 2.0.3.1 और 2.0.4 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कॉलम (1) में एक लगातार क्रम संख्या (1 से आरम्भ करके) दी जाएगी । इस कालम में अंतिम क्रम संख्या 'D' का मान होगी जिसे खण्ड शीर्षक के नीचे 'D' में दर्ज किया जाना है ।

2.5.2 कॉलम (2) : खे.स. में खेड़ों की क्रम संख्या (केवल ग्रामीण) : इस कॉलम को केवल ग्रामीण प्र.च.इ.यों के लिए भरा जाना है । प्रत्येक खेड़ा समूह बनाने वाले खेड़ों, जो खण्ड 4.1 के कॉलम (1) में दर्ज हैं, की क्रम संख्याएं 'कौमा' द्वारा विलग करते हुए कॉलम (2) में दर्ज की जानी है ।

2.5.3 कॉलम (3) : खे.स/उ.ख. में जनसंख्या का प्रतिशत (%) : खे.स/उ.ख. की लगभग वर्तमान जनसंख्या कुल प्र.च.इ. जनसंख्या के प्रतिशत में कॉलम (3) में पूर्ण अकों में दर्ज की जाएगी । इस कॉलम में प्रविष्टियों का योगफल हमेशा 100 होगा ।

2.5.4 कालम (4) :खे.स/उ.ख. की प्रतिचयन क्रम संख्या : पहले कालम (3) में अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत वाले खे.स./उ.ख. का पता लगायें और कालम (4) में इस खे.स. के लिए '0' दर्ज करें । यदि कालम (3) में यह प्रतिशत जनसंख्या एक से अधिक खे.स./उ.ख. के लिए समान है, तो उनमें से इस खंड में जिसका सूचीकरण पहले हुआ है उसे इस कालम में '0' दिया जाये । उसके बाद सूचीबद्ध अन्य खे.स./उ.खंडों को इस कालम में ऊपर से आरम्भ करके 1 से (D-1) द्वारा क्रमानुसार संख्यांकित किया जाये । ये अन्य खे.स./उ.ख. के लिए प्रतिचयन क्रम संख्यायें होंगी ।

2.5.5 कालम (5) : प्रतिदर्श खे.स/उ.ख. संख्या : सर्वेक्षण के उद्देश्य से बड़ी प्र.च.इ. में से दो खे.स./उ.ख. का चयन किया जाएगा । कालम (4) में प्रतिचयन क्रम सं. '0' के सामने इस कालम में '1' दर्ज करें । यह प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. 1 होगा । प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. 2 के चयन की विधि निम्नलिखित है :

पहले यादृच्छिक संख्या सारणी के उपयोग से 1 और (D-1) के बीच में से एक यादृच्छिक संख्या, जैसे R निकाल लीजिए । कालम (4) में प्रतिचयन क्रम संख्या जो R के बराबर हो, के सामने कालम (5) में 2 दर्ज करें ।

चयित क्रम संख्याओं को कालम (4) में गोल घेर दिया जाए । अन्य सभी खे.स./उ.खंडों (दो चयितों को छोड़कर) के लिए, कालम (5) को रिक्त छोड़ दिया जाए ।

2.6 खंड 5 : परिवारों की सूची और परिवारों को चयन का अभिलेख (खे.स./उ.ख. 1/2) : (नोट : कृपया अध्याय एक पैरा 1.5, 1.6 और 1.7 भी देखें ।)

2.6.1 इस खंड में प्रत्येक चयित खे.स./उ.ख. के लिए अलग-अलग विभिन्न सूचनाएँ दर्ज की जानी है । जब प्र.च.इ. में खे.स./उ.ख. गठन नहीं हुआ है तो खे.स./उ.ख. संख्या 1 होगी ।

2.6.2 यह अनुसूची का मुख्य खण्ड है । इस खंड में मकानों और परिवारों के सूचीकरण के साथ-साथ पहचान के ब्यौरे एकत्रित करना, प्रतिचन ढांचा बनाना, द्वितीय चरण स्तरों पर गठन और अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1 और प्ररूप 2) और 10 के लिए प्रतिदर्श परिवारों का चयन किया जाना है ।

2.6.3 इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी मकान या परिवार के मामले में कोई गलती या पुनरावृत्ति न हो जाए । सभी मकानों और परिवारों की सूची बनाने के लिए घर-धर पूछताछ की जायगी । सूचीकरण के समय अस्थायी तौर पर अनुपस्थित पाये गये परिवारों का भी सूचीकरण किया जाना है और प्रतिदर्श चयन से पहले परिवारों के बारे में यथासम्भव सूचनाएँ पड़ोसियों से प्राप्त करने के पश्चात उचित समय (अन्वेषकों की सामान्य कार्य अवधि के बाद भी) में परिवारों से सम्पर्क किया जाना चाहिए और यदि आवश्यकता

पड़े तो प्रतिदर्श प्र.च.इ. में सर्वेक्षण अवधि के दौरान परिवारों के बीच फिर से जाया जाए । एक मकान का सूचीकरण करते समय अन्वेषक सबसे पहले यह पता करेगा कि वहाँ कितने परिवार (अस्थायी रुप से अनुपस्थित या तालाबंद परिवारों सहित) रहते हैं, उसके बाद वह अगले मकान को सूचीबद्ध करेगा । मकानों/परिवारों का पूर्ण सूचीकरण सुनिश्चित करने के लिए यह उचित होगा कि सूचीकरण का एक निश्चित क्रम अपनाया जाए । जहां सम्भव हो, 2001 जनगणना में अपनाये गये क्रम को अपनाया जाय, इसका ध्यान रखते हुए कि बाद में बने मकान छूट न जाए; अन्यथा सूचीकरण सर्पाकार क्रम में उत्तर-पश्चिमी कोने से आरम्भ करके दक्षिण की तरफ जाते हुए किया जाए । मकानों का सूचीकरण आरम्भ करने से पहले मकानों के किसी प्राकृतिक समूहीकरण जैसे खेड़ा, गली, मोहल्ला आदि के नाम और सूचीकरण की अवधि सबसे ऊपर लिख दी जाए । यह पूर्णता की जांच में सहायक होगी ।

2.6.4 यदि प्र.च.इ. में खे.स./उ.ख. गठन हुआ है, तो मकानों और परिवारों का सूचीकरण पहले प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. सं 1 के लिए किया जायेगा । परिवारो का सूचीकरण आरंभ करने के पूर्व प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. की क्रम संख्या और खे.स./उ.ख. की क्रम संख्या और खेड़ों के नामों को लिख लिया जायेगा । प्रतिदर्श खे.स. के प्रत्येक खेड़े के मकानों/परिवारों का सूचीकरण पूर्ण कर लेने के पश्चात एक पंक्ति रिक्त छोड़ दी जायगी । प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. का काम पूर्ण हो जाने पर खे.स./उ.ख. 2 का सूचीकरण, यदि प्र.च.इ. में वह गठित हुआ हो, तो खंड 5 के एक पृथक पृष्ठ में किया जायेगा ।

सर्व प्रथम खंड 5 के शीर्ष में खे.स./उ.ख. संख्या (1 या 2) पर सही चिह्न अंकित करें, तत्पश्चात जो लागू न हो उसे काट दें ।

खंड 5 के विभिन्न कालम नीचे वर्णित हैं :

2.6.1 कालम (1) : मकान संख्या : खाली मकानों सहित सभी मकानों का सूचीकरण एक मकान संख्या देते हुए किया जायेगा । यदि उपलब्ध हो तो 2001 जनगणना मकान संख्या या स्थानीय पंचायत अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा दी गई संख्या का उपयोग किया जा सकता है । जिन मकानों की ऐसी कोई संख्या नहीं है या जहां मकान संख्यायें बिलकुल उपलब्ध नहीं हैं उन्हें 1 से आरम्भ करके एक भिन्न लगातार क्रम संख्या कोष्ठक में दी जायेगी । परन्तु जहां कहीं मकान संख्यायें उपलब्ध हों, भले ही चंद मकानों की ही, वहां उन मकानों की उपलब्ध वास्तविक संख्या को ही बिना कोष्ठक के दर्ज किया जायेगा । एक मकान से संबंधित सभी परिवारों का सूचीकरण करने के बाद दूसरे मकान का सूचीकरण किया जायेगा । यदि एक मकान का पूर्णरूपेण गैर-रिहायशी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है या वह खाली है तो जिस उद्देश्य के लिए वह मकान रखा गया है उसे पंक्ति के ऊपर लिख दिया जायेगा जैसे - मंदिर संरचना आदि । एक वृक्ष या पुल आदि के नीचे (अर्थात् बिना मकान के) रहने वाले एक परिवार के लिए इस कालम में एक डैश चिन्ह (-) दे दिया जाए ।

2.6.2 कालम (2) : परिवार क्रम संख्या : कालम (1) में सूचीबद्ध मकान या एक स्थायी स्थान (उदा : पेड़ के नीचे/पुल/खुले स्थान आदि) में सामान्यतया रहने वाले परिवार(रों) को कालम (2) में संख्यांकित किया जायेगा । इस कालम में सभी परिवारों (अस्थायी रुप से अनुपस्थित परिवारों सहित) को 1 से आरम्भ करके एक लगातार क्रम संख्या दी जायेगी । होटलों आदि में रहने वाले और एकल परिवार बनाने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक को एक परिवार क्रम संख्या देते हुए भिन्न पंक्ति में सूचीबद्ध किया जाएगा । प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. 1 और 2 के लिए अलग-अलग कालम (2) में 1 से आरम्भ करके एक लगातार क्रम संख्या दी जाएगी । **खाली मकानों, गैर-रिहाइशी भवनों आदि के लिए रखी गई पंक्ति हेतु इस कालम को रिक्त छोड़ दिया जायेगा ।**

2.6.3 कालम (3) : परिवार के मुखिया का नाम : कालम (2) में क्रम संख्या वाले एक परिवार के लिए, मुखिया का नाम यहां दर्ज किया जायेगा ।

2.6.4 कालम (4) : परिवार का आकार : परिवार का आकार जिसे अध्याय एक में परिभाषित किया गया है, इस कालम में दर्ज किया जायेगा । हर पृष्ठ के अंत में इस कालम में दो छोटे खाने बने हुए हैं, जिसमें इस कालम के लिए वर्तमान पृष्ठ योग एवं पृष्ठ का संचित योग दर्ज किया जायेगा ।

2.6.5 कालम (5) से (6) : ये दो कॉलम केवल ग्रामीण प्रतिदर्शों के लिए भरे जाएंगे ।

2.6.5.1 कालम (5) : अपेक्षाकृत सम्पन्न परिवार (हाँ-1, नहीं-2) : यह कॉलम द्वितीय-चरण स्तर (द्वि.च.स्त.) 1 के लिए ढांचा तैयार करता है जिसमें वे परिवार शामिल हैं जिनकी पहचान खंड 5.1 में दिए गए विवरणानुसार समृद्ध परिवार के रुप में की गई है ।

इस कालम को खंड 5.1 में सभी समृद्ध परिवारों को सूचीबद्ध कर लेने के पश्चात् भरा जाएगा ।

किसी परिवार को खंड 5.1 में समृद्ध परिवार के रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि (i) उसके अधिकार में ऐसी कोई भी मदें जैसे कि मोटर कार/जीप/ट्रैक्टर/संयुक्त-फसल काटने की कल/ट्रक/बस आदि, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जैसे डीवीडी/वीसीपी/रेफ्रिजरेटर/वाशिंग मशीन/अच्छी अवस्था में विस्तृत पक्का मकान आदि अथवा (ii) परिवार का कोई सदस्य यदि एक डाक्टर/वकील के रुप में एक पेशेवर है या एक उच्च वेतन वाली नौकरी करता है या एक बड़ा व्यापार चलाता है अथवा (iii) परिवार के अधिकार में 7 हेक्टर या उससे अधिक कृष्य भूमि या 3.5 हेक्टर या उससे अधिक सिंचित भूमि है अथवा (iv) परिवार के पास कम से कम 10 गाय-बैल और भैंसें है । यदि किसी भी समृद्ध परिवार की पहचान नहीं की जा सकी, द्वितीय-चरण स्तर 1 रद्द माना जाएगा । परंतु किसी खेड़ा-समूह के लिए खंड 5.1 के अनुसार समृद्ध परिवारों की संख्या यदि 10 से अधिक हो जाती है, तो उनकी आपेक्षिक समृद्धि के क्रम में उनमें से श्रेष्ठ दस (स्थानीय जानकार व्यक्तियों से प्राप्त सूचना के अनुसार) द्विचस्त 1 के लिए ढांचे का गठन करेंगे ।

सूचीकरण चरण में, यदि किसी परिवार को समृद्ध परिवार होने के मानदण्ड के अन्तर्गत कम से कम किसी एक मानदण्ड को संतुष्ट करता हुआ पाया जाता है, उस परिवार के लिए खंड 5.1 भरा जाएगा । सभी परिवारों का सूचीकरण पूरा कर लेने के पश्चात् **प्रत्येक खेड़ा-समूह के लिए खंड 5.1 में 10 श्रेष्ठ समृद्ध परिवारों की पहचान की जाएगी** एवं संगत परिवारों के सामने खंड 5 के कालम (5) में संकेतांक 1 दर्ज किया जाएगा । यदि खंड 5.1 में सूचीबद्ध परिवारों की संख्या 10 से अधिक नहीं होती है, तो खंड 5.1 में सूचीबद्ध सभी परिवारों के सामने खंड 5 के कालम (5) में संकेतांक 1 दर्ज किया जाएगा । अन्य सभी परिवारों के सामने खंड 5 के कालम (5) में संकेतांक 2 दर्ज किया जाएगा ।

तालाबंद परिवारों के लिए, पड़ोसियों से सूचना एकत्र करने की कोशिश की जानी चाहिए । यदि पड़ोसियों से भी कोई सूचना उपलब्ध न हो, तो इस कालम में संकेतांक 2 दर्ज किया जाएगा ।

2.6.5.2 कालम (6) : गैर-कृषि कार्यकलाप से प्रमुख अर्जन (हाँ-1, नहीं-2) : यह कालम द्वितीय-चरण स्तर 2 के लिए ढांचा तैयार करता है । यदि परिवार का प्रमुख् अर्जन गैर-कृषि कार्यकलापों से होता है (अर्थात् रा.औ.व. 2008 की सारणीयन श्रेणियां A और B के अन्तर्गत दर्ज कार्यकलापों के अतिरिक्त कार्यकलाप), तो इस कालम में संकेतांक 1 दर्ज किया जाएगा । अन्यथा, संकेतांक 2 दर्ज किया जायगा । प्रमुख अर्जन के स्रोत को निश्चित करने हेतु, परिवार के सभी सदस्यों की आय पर विचार किया जाएगा ।

तालाबंद परिवारों के लिए, पड़ोसियों से सूचना एकत्र करने की कोशिश की जानी चाहिए । यदि पड़ोसियों से भी कोई सूचना उपलब्ध न हो, तो इस कालम में संकेतांक 2 दिया जाएगा ।

2.6.6 कालम (7)-(9) : ये कालम केवल नगरीय प्रतिदर्शे के लिए भरे जाएंगे ।

2.6.6.1 कालम (7) : संपूर्ण परिवार के लिए औसत मासिक कुल उपभोक्ता व्यय (रु.) : पारिवारिक उपभोक्ता व्यय की व्याख्या अध्याय एक में की गयी है । परिवार द्वारा सामान्यतः पिछले 12 महीनों के दौरान उठाये गये मासिक उपभोक्ता व्यय की राशि पूर्ण रुपये में इस कालम में दर्ज की जाएगी ।

तालाबंद परिवार के लिए इस कालम में एक '-' दर्ज किया जाये ।

2.6.6.2 कालम (8) : मा.प्र.उ. व्यय (रुपये की पूर्ण संख्या में) : परिवार का मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय इस कॉलम में दर्ज किया जाएगा । इसे औसत मासिक व्यय (कालम 7) को पारिवारिक आकार (कालम 4) से भाग करके प्राप्त किया जायेगा और उसे निकटतम पूर्णांक कर दिया जाएगा ।

तालाबंद परिवार के लिए इस कालम में एक '-' दर्ज किया जाये ।

2.6.6.3 कालम (9) : मा.प्र.उ.व्यय संकेतांक : राप्रस 61वें दौर के आंकड़ों से प्रत्येक राप्रस क्षेत्र के लिए नगरीय क्षेत्रों हेतु दो काट-बिन्दु 'A' और 'B' इस प्रकार निकाले गये हैं कि जनसंख्या के ऊपरी 10% का मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता व्यय (मा.प्र.उ.व्य.) 'B' के बराबर या अधिक हो और जनसंख्या के निचले 30% का मा.प्र.उ.व्य. 'A' से कम हो । 'A' और 'B' के मान (रु. में) सारणी 2 में दिये गये हैं ।

सारणी 1: प्रत्येक रा.प्र.स. क्षेत्र के लिए नगरीय काट-बिंदु A और B (मा.प्र.उ.व्य. रु. में) का मान

राज्य/सं.क्षे.	रा.प्र.स. क्षेत्र	विवरण	काट - बिन्दु	
			A	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश	281	तटीय उत्तरी	1050	3770
	282	तटीय दक्षिणी	1030	3190
	283	अन्तर्देशीय उत्तर पश्चिमी	1200	3770
	284	अन्तर्देशीय उत्तर पूर्वी	970	2400
	285	अन्तर्देशीय दक्षिणी	830	2600
अरुणाचल प्रदेश	121	अरुणाचल प्रदेश	970	3020
असम	181	मैदान पूर्वी	1010	2880
	182	मैदान पश्चिमी	950	3940
	183	कच्छाड मैदानी	800	1620
	184	केन्द्रीय ब्रह्मपुत्र मैदान	870	1860
बिहार	101	उत्तरी	680	1600
	102	केन्द्रीय	660	1920
छतीसगढ़	221	उत्तरी छतीसगढ़	960	2030
	222	महानदी बेसिन	820	2300
	223	दक्षिणी छतीसगढ़	710	2720
गोवा	301	गोवा	1460	3290
गुजरात	241	दक्षिण पूर्वी	1210	3290
	242	मैदान उत्तरी	1100	3250
	243	शुष्क क्षेत्र	920	3480
	244	कच्छ	1050	3170
	245	सौराष्ट्र	1060	2490
हरियाणा	061	पूर्वी	1000	3750
	062	पश्चिमी	1050	3340
हिमाचल प्रदेश	021	केन्द्रीय	940	3200
	022	ट्रान्स हिमालयी और दक्षिणी	1280	3450
जम्मू व कश्मीर	011	पहाड़ी	1170	3340
	012	पर्वत वाह्य	1320	2550
	013	झेलम घाटी	960	1960
	014	लद्दाख*	1110	2780

सारणी 1: प्रत्येक रा.प्र.स. क्षेत्र के लिए नगरीय काट-बिंदु A और B (मा.प्र.उ.व्य. रु. में) का मान

राज्य/सं.क्षे.	रा.प्र.स. क्षेत्र	विवरण	काट - बिन्दु	
			A	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झारखंड	201	रांची पठार	740	2750
	202	हजारीबाग पठार	760	2650
कर्नाटक	291	तटीय और घाट	1100	3030
	292	अन्तर्देशीय पूर्वी	980	2080
	293	अन्तर्देशीय दक्षिणी	1380	3600
	294	अन्तर्देशीय उत्तरी	700	1680
केरल	321	उत्तरी	880	2720
	322	दक्षिणी	1250	4340
मध्य प्रदेश	231	विन्ध्य	710	2250
	232	केन्द्रीय	710	3310
	233	मालवा	1130	3360
	234	दक्षिणी	700	2430
	235	दक्षिण पश्चिमी	720	1610
	236	उत्तरी	800	1800
महाराष्ट्र	271	तटीय	1420	5450
	272	अन्तर्देशीय पश्चिमी	1150	3880
	273	अन्तर्देशीय उत्तरी	820	2280
	274	अन्तर्देशीय केन्द्रीय	770	2490
	275	अन्तर्देशीय पूर्वी	900	3120
	276	पूर्वी	820	1990
मणिपुर	141	मैदानी	820	1530
	142	पहाड़ी	620	880
मेघालय	171	मेघालय	1000	2440
मिजोरम	151	मिजोरम	1280	2640
नागालैंड	131	नागालैंड	1280	2850
ओड़िसा	211	तटीय	770	3130
	212	दक्षिणी	670	1740
	213	उत्तरी	740	2470
पंजाब	031	उत्तरी	1030	3330
	032	दक्षिणी	1100	3910
राजस्थान	081	पश्चिमी	960	2030
	082	उत्तर पूर्वी	940	3090
	083	दक्षिणी	1150	2680

सारणी 1: प्रत्येक रा.प्र.स. क्षेत्र के लिए नगरीय काट-बिंदु A और B (मा.प्र.उ.व्य. रु. में) का मान

राज्य/सं.क्षे.	रा.प्र.स. क्षेत्र	विवरण	काट - बिन्दु	
			A	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	084	दक्षिण पूर्वी	960	2430
	085	उत्तरी	830	2190
सिक्किम	111	सिक्किम	1570	2460
तमिलनाडु	331	तटीय उत्तरी	1170	3560
	332	तटीय	990	2310
	333	दक्षिणी	860	2130
	334	अन्तर्देशीय	910	2890
त्रिपुरा	161	त्रिपुरा	1000	2800
उत्तराखण्ड	051	उत्तराखण्ड	930	2750
उत्तर प्रदेश	091	उत्तरी ऊपरी गंगा मैदान	810	2990
	092	केन्द्रीय	750	3280
	093	पूर्वी	670	1980
	094	दक्षिणी	790	2380
	095	दक्षिणी ऊपरी गंगा मैदान	750	1990
पश्चिम बंगाल	191	हिमालयी	890	2860
	192	पूर्वी मैदान	820	2370
	193	दक्षिणी मैदान	1020	4090
	194	केन्द्रीय मैदान	810	2760
	195	पश्चिमी मैदान	930	3830
अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह	351	अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह	1730	3890
चंडीगढ़	041	चंडीगढ़	1810	7120
दादरा और नगर हवेली	261	दादरा और नगर हवेली	1080	2340
दमन व दीव	251	दमन व दीव	890	2440
दिल्ली	071	दिल्ली	1240	4050
लक्षद्वीप	311	लक्षद्वीप	1340	3770
पांडिचेरी	341	पांडिचेरी	1210	3580

कालम(9) में प्रविष्टि के लिए, कालम(8) में परिवार के मा.प्र.उ.व्य. की तुलना में 'A' और 'B' से की जाये । इस कालम में मा.प्र.उ.व्य. संकेतांक दर्ज करने के मापदंड निम्नलिखित हैं :

मापदंड	दर्ज किया जाने वाला मा.प्र.उ.व्य.
मा.प्र.उ.व्य. $\geq$ B	1
A $\leq$ मा.प्र.उ.व्य. $\leq$ B	2
मा.प्र.उ.व्य. $<$ A	3

तालाबंद परिवार के लिए मा.प्र.उ.व्य. संकेतांक 2 दिया जाये ।

2.6.7 कालम (10) - (12) : प्रतिचयन क्रम संख्या : द्वि.च.स्त. : स्मरण करें कि अनुसूची 1.0(प्ररूप 1), 1.0(प्ररूप 2) और 10 के लिए तीन द्वि.च.स्त. होंगे । कॉलम (10), (11) और (12) सभी तीन अनुसूचियों के द्वि.च.स्त. 1, 2 और 3 के लिए प्रतिचयन ढांचे तैयार करेंगे । प्रत्येक परिवार को इन तीन कालमों में से एक और सिर्फ एक में सही चिह्न (√) द्वारा अंकित किया जायेगा ।

ग्रामीण प्रतिदर्शों के लिए, यदि कॉलम (5) में संकेतांक 1 है तो कॉलम (10) में एक सही चिह्न (√) दिया जाएगा । कॉलम 5 में संकेतांक 2 वाले परिवारों को कॉलम (10) में सही चिह्न (√) नहीं दिया जाएगा । इन परिवारों के लिए कॉलम (6) में विचार किया जाएगा । यदि कॉलम (6) में प्रविष्टि 1 है तो कॉलम (11) में एक सही चिह्न (√) लगाया जाएगा । अन्यथा, कॉलम (12) में एक सही चिह्न (√) दिया जाएगा ।

नगरीय प्रतिदर्शों के मामले में कॉलम (9) में विचार किया जाएगा । यदि कॉलम (9) में प्रविष्टि 1 है तो कॉलम (10) में एक सही चिह्न (√) दिया जाएगा । कॉलम (9) में संकेतांक 2 के लिए एक सही चिह्न (√) कॉलम (11) में दिया जाएगा और कॉलम (12) में संक्तांक 3 के लिए सही चिह्न (√) कालम (9) में दिया जाएगा ।

उसके बाद सभी सही चिह्नों को प्रत्येक कॉलम में स्वतन्त्र रूप से सबसे ऊपर से 1 से आरम्भ करके लागातार क्रम संख्याएं दी जाएंगी । ये द्वि.च.स्त. 1, 2 और 3 के लिए क्रमशः प्रतिचयन क्रम संख्याएं होगीं । एक ग्रामीण प्र.च.ई./खे.स. के द्वि.च.स्त. 1के लिए उच्चतम क्रम संख्या 10 के बराबर या उससे कम होगी ।

इन प्रत्येक कॉलमों में उच्चतम क्रम संख्याएं दोनों अनुसूचियों के लिए सम्बन्धित द्वि.च.स्त. हेतु "H" के मान के बराबर होंगी । यह (12) मान कॉलम शीर्ष में दिए गए स्थान पर "H" के सामने दर्ज किया जाएगा ।

2.6.8 उद्यमों की कमी की पूर्ति : प्रत्येक द्वि.च.स्त. के लिए प्रतिदर्श परिवारों का आबंटन अध्याय एक में दिया गया है । तथापि ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहां किसी अनुसूची प्रकार के लिए एक द्वि.च.स्त. के ढांचे में परिवारों की संख्या आवश्यक आबंटन से कम हो जिसके फलस्वरूप उद्यमों की कमी पाई गई है । किसी अनुसूची के लिए निर्दिष्ट स्तर पर प्रतिदर्श परिवारों का कुल आबंटन ठीक रखने के लिए (प्रत्येक अनुसूची प्रकार के लिए 8), किसी भी द्वि.च.स्त. के ढांचे में परिवारों की आवश्यक संख्या में कमी दूसरे द्वि.च.स्त. से पूरी की जायेगी । इस प्रकार की प्रर्ति करते समय, सामान्य सिद्धान्त की प्राथमिकता द्वि.च.स्त. 1 को दी जायेगी फिर द्वि.च.स्त. 2 को और उसके बाद द्वि.च.स्त. 3 को । कमियों की पूर्ति की क्रियाविधि नीचे वर्णीत कदमों के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती है ।

कदम 1 : जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक द्वि.च.स्त. को परिवारों की आवश्यक संख्या आबंटित करें और उन द्विचस्तरों की पहचान करें जिनमें कमी है ।

कदम 2 : खे.स./उ.खं. गठन के मामले में, यदि उपलब्ध हों, तो कमी वाले सभी द्विचस्तरों के लिए अन्य खे.स./उ.खं. के उसी द्विचस्त से क्षतिपूर्ति करें । खे.स./उ.खं. 1 के सभी द्वि.च.स्त. के लिए कदमों को क्रम से करें और उसके पश्चात् खे.स./उ.खं. 2 के सभी द्वि.च.स्त. का करें । यदि फिर भी कमी रह जाती है जो कमी वाले द्विचस्त की पहचान करें और कदम 3 उठायें ।

कदम 3 : द्वि.च.स्त. 1, द्वि.च.स्त. 2 एवं द्वि.च.स्त. 3 के प्राथमिकता क्रम को अपनाते हुए उस द्विचस्त की पहचान करें, जहाँ अतिरिक्त परिवार उपलब्ध हैं और तब क्षतिपूर्ति करें । कदम 2 के पश्चात् कमी वाले सभी द्वि.च.स्त. के लिए इस कदम को दोहरायें । प्रथम, खे.स./उ.खं. 1 के द्वि.च.स्त. की क्षतिपूर्ति की जाए और उसके पश्चात् खे.स./उ.खं. 2 के द्वि.च.स्त. को क्रम से पूरा करें ।

किस द्विचस्त से क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए निम्नलिखित सारणी सहायक होगी :

कमी वाले द्वि.च.स्त.	क्षतिपूर्ति के लिए द्वि.च.स्त. का प्राथमिकता क्रम
	विनिर्माण
1	2,3
2	1,3
3	1,2

आगे और विवरण के लिए यदि खे.स./उ.खं. 2 के द्वि.च.स्त. 2 में कमी बनी रहती है तो कदम 2 और कदम 3 के विवरण नीचे दिए गए हैं ।

कदम 2 : खे.स./उ.खं. 1 के द्विचस्त 2 की कमी की क्षतिपूर्ति द्विचस्त 2 से करने का प्रयत्न करें । यदि फिर भी खे.स./उ.खं. 2 के द्विचस्त 2 में कमी रह जाये, तो

कदम 3 : खे.स./उ.खं. 2 के द्विचस्त 1 से क्षतिपूर्ति का प्रयत्न करें, यदि ऐसा न हो तो खे.स./उ.खं. 1 के द्वि.च.स्त. 1 से प्रयत्न करें । यदि फिर भी कमी बनी रहे तो खे.स./उ.खं. 2 के द्वि.च.स्त. 3 से, ऐसा न होने पर खे.स./उ.खं. 1 के द्वि.च.स्त. 3 से और इसी प्रकार आगे प्रयत्न करें ।

प्रत्येक द्वि.च.स्त. के लिए परिवारों की परिणामी संख्या (h) को अनुसूची 0.0 के खंड 5 के सम्बंधित कालम(मों) में सबसे ऊपर और खंड 6 के कालम(6) में भी सम्बंधित द्वि.च.स्त.×खे.स./उ.खं. के सामने दर्ज किया जायेगा ।

कमी की क्षतिपूर्ति के लिए उदाहरण

उदाहरण 1 - बगैर खे.स./उ.खं. गठन वाले प्रचइ					
द्वि.च.स्त.	प्रविष्टियों की संख्या जो सर्वेक्षित होंगी	**H**	कदम 1	कदम 3	e
1	2	5	2	1+1	4
2	4	2	2*(2)	सी (द्वि.च.स्त 1)	2
3	2	58	2		2
कुल	8	65	6	2	8
कमी			2	0	X

* कमी वाले द्वि.च.स्त. को सूचित करता है (कमी की संख्या) ;
सी - की गई क्षतिपूर्ति को सूचित करता है (द्वि.च.स्त. जिससे क्षतिपूर्ति की गई है)

उदाहरण 2 - खे.स./उ.खं. गठन वाले प्रचइ								
खे.स./ उ.खं.	द्वि. च. स्त.	सर्वेक्षित होने वाले परिवारों की सं.	**H**	कदम 1	कदम 2	कदम 1 + कदम 2	कदम 3	**e**
1	1	1	**1**	1		1		**1**
	2	2	**1**	1*(1)	सी(द्वि.च.स्त.2,खेस2)	1		**1**
	3	1	**98**	1		1		**1**
	कुल	4	**100**	3		3		**3**
2	1	1	**0**	0*(1)		0*(1)	सी(द्वि.च.स्त.2,खेस2)	**0**
	2	2	**5**	2	1	3	1	**4**
	3	1	**125**	1		1		**1**
	कुल	4	**130**			4	1	**5**

1+2	कुल	8	**230**	6	1	7	1	**8**
	कमी			2	1	1	0	**X**

* कमी वाले द्वि.च.स्त. को सूचित करता है (कमी की संख्या) ;
सी - की गई क्षतिपूर्ति को सूचित करता है (द्वि.च.स्त. जिससे क्षतिपूर्ति की गई है)

उदाहरण 3 - खे.स./उ.खं. गठन वाले प्रचइ

खे.स./ उ.खं.	द्वि.च.स्त.	सर्वेक्षित होने वाले परिवारों की सं.	**H**	कदम 1	कदम 2	कदम 1 + कदम 2	कदम 3	**e**
1	1	1	**2**	1		1	1	**2**
	2	2	**1**	1*(1)		1*(1)	सी(द्वि.च.स्त.1,खेस1)	**1**
	3	1	**96**	1		1		**1**
	कुल	4	**99**	3		3	1	**4**
2	1	1	**1**	1		1		**1**
	2	2	**0**	0*(2)		0*(2)	सी(द्वि.च.स्त.3,खेस2)	**0**
	3	1	**100**	1		1	1+1	**3**
	कुल	4	**101**	2		2	2	**4**
1+2	कुल	8	**200**	5		5	3	**8**
	कमी			3	0	3	0	**X**

* कमी वाले द्वि.च.स्त. को सूचित करता है (कमी की संख्या) ;
सी - की गई क्षतिपूर्ति को सूचित करता है (द्वि.च.स्त. जिससे क्षतिपूर्ति की गई है)

2.6.9 कालम (13)-(15) : अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1) : प्रतिदर्श परिवार संख्या : द्वि.च.स्त. : (खे.स./उ.ख.) × द्वि.च.स्त के प्रत्येक संयोजन के लिए चयन किये जाने वाले परिवारों की आवश्यक संख्या (h) अध्याय एक में दी गयी है । "h" के मान को कालम शीर्ष में दिए गए स्थान के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा ।

किसी विशिष्ट (खे.स./उ.ख.) × द्वि.च.स्त. से प्रतिदर्श परिवारों के प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) से चयन के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी । मान लें, ढाँचे में परिवारों की कुल संख्या "H" है [अर्थात् कालम (10)/(11)/(12) में उच्चतम प्रविष्टि] और h चयन किये जाने वाले परिवारों की संख्या है । यदि H=h, तो सभी परिवार चुन लिये जायेंगे और कोई यादृच्छिक संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है । अन्यथा, पहले एक यादृच्छिक संख्या, मान लें R_1, जो 1 और H के बीच में हो निकाली जायेगी । उसके बाद एक दूसरी यादृच्छिक संख्या, मान लें R_2 भी 1 और H के बीच में निकालें । यदि $R_2 = R_1$, तो R_2 को छोड़ दें और एक नया R_2 निकालें । यह प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक कि भिन्न-भिन्न मान वाले R [$R_1, R_2, R_3, \ldots\ldots, R(h)$] की अपेक्षित संख्या प्राप्त नहीं हो जाती । तब [कालम (10)/(11)(12) में] प्रतिचयन क्रम संख्या $R_1, R_2, \ldots\ldots, R(h)$ वाले परिवार चयित परिवार होंगे तथा इन्हें प्रतिदर्श क्रम संख्या क्रमशः 1, 2, 3 ....., h कालम (13)/(14)/(15) में दी जायेगी । कालम (10)/(11)(12) में तदनुरुपी प्रतिचयन क्रम संख्याओं को गोल घेर दिया जाये ।

2.6.10 कालम(16) - (18) : अनुसूची 1.0 (प्ररूप 2) : प्रतिदर्श परिवार संख्या : द्वि.च.स्त. : प्रत्येक (खे.स./उ.ख.) X द्वि.च.स्त. से परिवारों की आवश्यक संख्या (h) निकाल ली जाएगी । कालम शीर्षों के अंतर्गत दिए गए स्थान पर इन मानों को दर्ज किया जाना है । प्रत्येक (खे.स./उ.ख.) X द्वि.च.स्त. में प्रतिदर्श परिवारों का चयन प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) से किया जायेगा । यह क्रियाविधि ठीक उसी प्रकार की है जैसी कि अनु 1.0 (प्ररूप 1) के लिए पैरा 2.6.9 में दिखायी गई है, संशोधन यह होगा कि यदि प्रतिदर्श परिवार का चयन पहले ही अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1) के लिए हो चुका है तो उसे ढांचे के अगले अचयित

परिवार से बदल दिया जायेगा । प्रतिस्थापन के बाद चुने गये परिवार को एक मूल रूप से चयित परिवार माना जायेगा । इस परिवार की प्रतिचयन क्रम संख्या दो बार गोल घेर दी जायेगी । यह संशोधन इस लिए किया गया है ताकि दोनों अनुसूची प्ररूपों के लिए भिन्न परिवारों का चयन हो । तथापि यदि द्वि.च.स्त. में परिवारों की संख्या छोटी है तो एक या अधिक प्रतिदर्श परिवार द्वि.च.स्त. के दोनों अनुसूची प्ररूपों में आ सकते हैं । **ऐसे मामलों में दोनों अनुसूचियों पर उसी परिवार में पूछताछ की जायेगी ।**

2.6.11 कालम(19) - (21) : अनुसूची 10 : प्रतिदर्श परिवार संख्या : द्वि.च.स्त. : प्रत्येक (खे.स./उ.ख.) X द्वि.च.स्त. से परिवारों की आवश्यक संख्या (h) प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) से निकाल ली जाएगी । कालम शीर्षों के अंतर्गत दिए गए स्थान पर इन मानों को दर्ज किया जाना है । प्रतिदर्श परिवारों के चयन की क्रियाविधि ठीक उसी प्रकार की है जैसी कि अनु 1.0 (प्ररूप 2) के लिए पैरा 2.6.9 में दिखायी गई है । यदि यह पाया जाये कि प्रतिदर्श परिवार का चयन पहले ही अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1) या 1.0 (प्ररूप 2) के लिए हो चुका है तो उसका प्रतिस्थापन ढांचे के अगले अचयित परिवार से किया जायेगा । प्रतिस्थापन के बाद चुने गये परिवार को एक मूलरूप से चयित परिवार ही माना जायेगा । इस परिवार की प्रतिचयन क्रम संख्या को दो बार गोल घेर दिया जायेगा और एक # चिह्न यह दर्शाने के लिए दिया जायेगा कि इसे अनुसूची 10 के लिए प्रतिस्थापित किया गया है । तथापि, यदि ढांचे में परिवारों की संख्या छोटी है, तो एक या अधिक प्रतिदर्श परिवार विभिन्न अनुसूची प्ररूपों के लिए आम हो सकते हैं । ऐसे मामलों में उसी परिवार में एक से अधिक अनुसूचियों पर पूछताछ की जायेगी ।

2.7 खंड 5.1 : अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध परिवारों की पहचान करने के लिए कार्य-पत्रक (खे.स.1/2) (केवल ग्रामीण) :

इस खंड का प्रयोग प्र.च.इ./चयनित खे.स. में अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध परिवारों की पहचान के लिए किया जाएगा । यह उन बातों को ध्यान में रखकर किया जाएगा जो सामान्यतः समृद्ध परिवारों से संबंधित होते हैं जैसे कि मोटरकार/जीप/ट्रैक्टर/संयुक्त-फसल काटने की कल/ट्रक/बस/वैन आदि का स्वामित्व रखना; उपभोक्ता वस्तुएं जैसे फ्रीज/वाशिंग मशीन आदि का स्वामित्व रखना ; बड़े व्यवसाय का स्वामित्व/उच्च पारिश्रमिक पेशा/उच्च तनख्वाह की आय आदि होना ; अच्छी स्थिति में एक बड़े पक्का मकान का स्वामी होना; 7 हेक्टर या उससे अधिक कृष्य भूमि का स्वामित्व रखना ; 3.5 हेक्टर या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व रखना ; गाय-बैल, भैंसों और ऊंटों की एक अच्छी संख्या का स्वामित्व (10 या अधिक संख्या में) रखना । एक परिवार को समृद्ध परिवार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि उसके पास इस खंड के कालम (4) से (6) में सूचीबद्ध कोई भी मद हो या परिवार में कोई सदस्य डाक्टर/वकील आदि हो या परिवार का कोई सदस्य उच्च वेतन प्राप्त कार्य करता हो या परिवार के पास उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमाओं के बराबर या उससे अधिक कृष्य भूमि/सिंचित भूमि/गाय-बैल, भैसें और ऊंट हों । तथापि यदि चयनित ग्राम/खे.स. में अधिकांश परिवार कुछ विशिष्ट मापदण्डों को पूरा करते हों, तो अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध परिवार की पहचान किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

2.7.0.2 खंड 5 में परिवारों के सूचीकरण के समय, यदि यह पाया जाता है कि कोई परिवार कम से कम एक मापदण्ड को पूरा करता है, तो इसे एक समृद्ध परिवार मानते हुए खंड 5.1 में सूचीबद्ध किया जाएगा । अन्य शब्दों में, अन्वेषक उपर्युक्त वर्णित समृद्ध परिवारों के लिए मापदण्ड को पूरा करने वाले परिवारों के विवरण को ही खंड 5.1 में दर्ज करेगा । यदि ऐसे परिवारों की संख्या 10 से अधिक हो जाती है, तो अन्वेषक को उनकी समृद्धता के अधोक्रम में उन्हें व्यवस्थित करना होगा । अन्वेषक द्वारा यह क्रम उनकी आपेक्षिक समृद्धता पर अपना निर्णय देते हुए प्रदान किया जा सकता है । जब सूचीकृत समृद्ध परिवारों की संख्या 10 से अधिक है तो क्रम देने के लिए स्थानीय जानकार व्यक्तियों की सहायता ली जाए । पंचायत के सदस्य, या पटवारी या ग्राम सेवक या स्कूल के स्थानीय अध्यापक या स्वस्थ्य कर्मी वे सूचना उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे । क्रम में व्यवस्थित 10 सर्वोच्च परिवार द्वि.च.स्त.1 के लिए ढांचे का गठन करेंगे । परिवारों को दिये गये क्रम खंड के बायें हाशिए में परिवारों के सामने निर्दिष्ट कर दिए जाएं । ऐसे परिवारों की संख्या यदि 10 या उससे कम हो, तो उन सभी को द्वि.च.स्त.1 के ढांचे में सम्मिलित कर लिया जाएगा । ऐसे परिवारों को खंड 5 के कालम (5) में प्रत्येक खेस के लिए संकेतांक 1 दिया जायेगा ।

क्रम व्यवस्थित करने के लिए जिस स्थानीय जानकार व्यक्ति से सलाह ली गई है के लिए उपयुक्त संकेतांक को खंड 5.1 के नीचे उसके लिए दिये गये कोष्ठक में दर्ज किया जाना है । संकेतांक :-

सरपंच (पुरुष)	01
सरपंच (महिला)	02
अन्य पंचायत सदस्य	03
पटवारी/ग्राम सेवक	04
अध्यापक	05
स्वास्थ्य कर्मी	06
अन्य	09

2.7.0.3 कालम (4) से (7) के लिए, प्रविष्टि या तो 1 या 2 होगी । कालम (8)/(9) के लिए, प्रविष्टियाँ या तो रिक्त रहेंगी या 7 हेक्टर/3.5 हेक्टर के बराबर या उससे अधिक होंगी और इन्हें तीन दशमलव अंकों तक दर्ज किया जाएगा । इसी प्रकार, कालम (10) में प्रविष्टि रिक्त होगी या 10 के बराबर या उससे अधिक होगी । एक चयनित खेड़-समूह के लिए खंड 5.1 में सूचीकृत समृद्ध परिवारों की संख्या यदि 10 से कम है तो मद ''स्थानीय जानकार व्यक्तियों'' के समक्ष प्रविष्टि रिक्त होगी ।

2.8 खंड 6 : परिवारों के प्रतिचयन का विवरण :

2.8.0 परिवारों के प्रतिचयन के विवरणों को, खे.स./उ.खं. 1 और 2 प्रत्येक के लिए तथा अनु. 1.0 (प्ररूप 1 और प्ररूप 2) और 10 के लिए अलग-अलग इस खंड में दर्ज किया जाएगा । यदि कोई खे.स./उ.खं. गठित नहीं है, तो प्रविष्टि खे.स./उ.खं. 1 में की जाएगी ।

2.8.1 कालम (3) : जनसंख्या : सभी सूचीबद्ध परिवारों के लिए खंड 5 के कालम (4) में दर्ज परिवारों के आकारों के पृष्ठ योग का कुल योग करके प्राप्त जनसंख्या को इस कालम में खे.स./उ.खं. 1 और 2 के लिए अनु. 1.0 (प्ररूप 1) की पंक्तियों में अलग-अलग दर्ज किया जाएगा ।

2.8.2 कालम (5) से (10) : परिवारों की कुल संख्या : अनु 1.0(प्ररूप 1) के सभी द्वि.च.स्त. के ढांचे के परिवारों की कुल संख्याओं को कालम (5) के अनुरुपी कक्षों में प्रत्येक खे.स./उ.खं. के लिए दर्ज किया जाएगा । प्रत्येक द्वि.च.स्त. के लिए 'H' के मान अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1), 1.0 (प्ररूप 2) और 10 के लिए समान होंगे । चयित परिवारों की संख्या कालम (6) में नकल की जायेगी । इन्हें खंड 5 के सम्बंधित कालमों में से नकल किया जाना है । संदर्भ नीचे दिये गए हैं :

अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1): द्वि.च.स्त. के लिए कालम (5) की प्रविष्टियां प्रत्येक खे.स./उ.खं. के लिए खंड 5 के कालम (10), (11) और (12) के शीर्ष स्थानों में दर्ज 'H' के मान के बराबर ही हैं । कालम (6) की प्रविष्टियाँ खंड 5 की अनुसूची 1.0(प्ररूप 1) हेतु खंड 5 के कालम (13), (14) और (15) के शीर्ष स्थानों में दर्ज 'h' के मान के बराबर होंगी ।

अनुसूची 1.0 (प्रारूप 2): कालम (6) की प्रविष्टियाँ खंड 5 के कालम (16), (17) और (18) के शीर्ष स्थानों में दर्ज 'h' के मान के बराबर होंगी ।

अनुसूची 10 : कालम (8) की प्रविष्टियां, खंड 5 के कालम (19), (20) और (21) के शीर्ष स्थानों में दर्ज 'h' के मान के बराबर होंगी ।

खंड 6 के कालम (7), (8) और (10) को संबंधित अनुसूचियों के खंड 1 की मद 18 में दिए गए सर्वेक्षण संकेतांकों के आधार पर भरा जाए । कालम (7), (8) और (10) की प्रविष्टियां, संगत अनुसूचियों में क्रमशः सर्वेक्षण संकेतांक 1, 2 और 3 वाली भरी हुई अनुसूचियों की संख्या होगी । सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या कालम (9) में दर्ज की जाएगी । यह देखा जाए कि (i) कालम (9) = कालम (7) + कालम (8) और (ii) कालम (10) = कालम (6) - कालम (9) हो ।

2.8.3 कालम (11) : प्रतिस्थापित परिवारों की संख्या : अनुसूची 1.0 (प्ररूप 2) के लिए (अनुसूची 1.0 प्रारूप 1 के लिए पहले ही चयित) परिवारों की कुल संख्या अनुसूची 1.0, प्ररूप 2 की पक्तियों में खे.स./उ.ख. 1 और 2 के लिए अलग अलग सभी द्वि.च.स्त. हेतु दर्ज की जाएगी । ये प्रविष्टियां खण्ड 5 के कॉलम (10), (11) और (12) में दो बार गोल घेरी हुई संख्या होगी । 'सभी' में प्रविष्टि खे.स./उ.ख. 1 और 2 के लिए सभी द्वि.च.स्त. का योग होगा । इसी प्रकार अनुसूची 10 के लिए प्रतिस्थापित परिवार (अनु 1.0 प्रारूप 1 के लिए अथवा अनु 1.0 (प्ररूप 2) के लिए पहले ही चुने जाने के कारण) की कुल संख्या अनु 10 की विभिन्न पक्तियों में दर्ज की जाएगी । ये प्रविष्टियां खे.स./उ.ख. के लिए खण्ड 5 के कॉलम (10), (11) और (12) में '#' सहित दो बार घेरे हुए की संख्या होगी ।

'सभी' में प्रविष्टि प्रत्येक अनुसूची के लिए खे.स./उ.ख. 1 और 2 हेतु द्वि.च.स्त. 1-3 का योग होगा ।

2.9 खण्ड 7 : निकटतम सुविधा की ग्राम से दूरी, कुछ सुविधाओं की उपलब्धता और एमजी नरेगा कार्यों में भागीदारी :-

2.9.0.1 इस खण्ड में ग्रामीण प्रचइ में कुछ विशिष्ट सुविधाओं जैसे संचार, शैक्षिक संस्थाएं, स्वास्थ संस्थाएं, बैंक, उधार सोसाइटियां, जल-निकास व्यवस्था, नरेगा कार्यों में भागीदारी आदि पर सूचना एकत्र करने का लक्ष्य है । खेड़ा समूह गठन के मामले में सूचना पूरी प्रतिदर्श प्र.च.इ. के लिए एकत्र की जानी है ।

2.9.0.2 एक प्र.च.इ. के निवासियों को सामान्य तौर पर यदि एक सुविधा उपलब्ध है तो उसे एक सुविधा माना जाएगा । आवश्यक सूचना ग्राम पदाधिकारियों और/या अन्य जानकार व्यक्तियों से सम्पर्क करके प्राप्त की जानी है । यदि उन्हें किसी एक सुविधा की उपलब्धता के बारे में ज्ञात नहीं है तो संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए निकटतम खण्ड विकास अधिकारी या अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों से सम्पर्क किया जा सकता है ।

यह खण्ड ग्रामीण बसे हुए प्र.च.इ.यों के लिए भरा जाएगा और उन प्र.च.इ.यों के लिए खाली छोड़ दिया जाएगा जो बसे हुए नहीं हैं अथवा शून्य मामला हैं ।

यह खण्ड परिवारों के सूचीकरण के पूर्ण होने के बाद भरा जाए ।

2.9.1 मद 1 - 23 और 24(बी) : कालम(3) : दूरी संकेतांक :

इस कालम की मद 1 से 23 और 24(बी) के लिए भी दूरी संकेतांक दर्ज किये जायेंगे । ग्रामीणों को उपलब्ध निकटतम सुविधा की दूरी पर विचार किया जायेगा । दूरी की माप ग्राम के भौगौलिक केन्द्र से की जायगी चाहे खेड़ा समूहों का गठन किया गया हो या नहीं । तथापि, यदि एक विशेष सुविधा ग्राम के भीतर उपलब्ध है तो दूरी संकेतांक हमेशा 1 होगा, चाहे उसकी दूरी ग्राम के केंद्र से कितनी भी हो । संकेतांक 2 से 6 में से कोई एक तब लागू होगा, जब सुविधा ग्राम के बाहर एक स्थान पर स्थित है । यदि सुविधा दो भिन्न स्थानों पर उपलब्ध है तो दूरी संकेतांक दर्ज करने के लिए निकटतम सुविधा पर विचार किया जायेगा । इस सम्बंध में, ध्यान दें कि यदि किसी एक स्थान पर एक से अधिक सुविधायें संयुक्त रूप से उपलब्ध हैं और यदि वह स्थान विचारार्थ सभी सुविधाओं के सम्बंध में ग्राम से निकटतम है तो सभी सुविधाओं के लिए उस स्थान का संकेतांक दर्ज किया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि निकटतम माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक और मिडिल स्तर की शिक्षा भी उपलब्ध है और निकटतम प्राथमिक विद्यालय या मिडिल विद्यालय माध्यमिक विद्यालय की अपेक्षा अधिक दूरी पर है तो माध्यमिक विद्यालय की दूरी का संकेतांक ही प्राथमिक और मिडिल विद्यालयों के लिए भी दिया जाना चाहिए । दूरियों के संकेतांक निम्नलिखित हैं :

ग्राम के भीतर 1
ग्राम से बाहर :
5 कि.मी. से कम 2
5 कि.मी. या अधिक 3

इस खंड की अधिकांश मदें स्वतः स्पष्ट हैं । तथापि कुछ पदों की व्याख्या नीचे की गई है ।

2.9.1.1 मद 1-3 : ये मदें स्वतः स्पष्ट हैं ।

2.9.1.2 मद 4 : पक्की सड़क : इनमें पक्की सामग्री जैसे डामर, सीमेंट, कंकरीट, ईंट, पत्थर आदि से बनी सड़कें शामिल की जायेंगी ।

2.9.1.3 मद 5 : प्राथमिक स्तर की कक्षाओं वाला विद्यालय : साधारणतया, चौथी कक्षा तक के स्तर को प्राथमिक शिक्षा माना गया है । तथापि, कुछ राज्यों में कक्षा पाँच स्तर की शिक्षा को भी 'प्राथमिक' स्तर का माना गया है । इस सर्वेक्षण हेतु, स्थानीय व्यवहार के अनुसार कक्षा चार या पांच जो लागू हो उसे ही प्राथमिक स्तर का माना जायेगा । जो संस्थायें इस प्रकार की शिक्षा की सुविधायें प्रदान कर रही है, इस मद के अंतर्गत आयेंगी ।

2.9.1.4 मद 6 : माध्यमिक स्तर की कक्षाओं वाला विद्यालय : माध्यमिक स्तर के स्कूल में 10वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रादान की जाती है । इस मद में प्रविष्टि के लिए ऐसे एक स्कूल पर विचार किया जायेगा ।

2.9.1.5 मद 7 : उच्चतर माध्यमिक स्कूल/ जूनियर कॉलेज : उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10+2 तक की शिक्षा प्रदान करते हैं । कुछ स्थानों में इन्हें जूनियर कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है । कक्षा 10+2 तक की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को इस मद के अंतर्गत लिया जायेगा ।

2.9.1.6 मद 8 : स्वास्थ्य उप-केन्द्र/औषधालय : एक स्वास्थ्य उप केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली की मुख्य बाह्य सम्पर्क बिन्दु है । एक उप-केन्द्र के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र की लगभग 5,000 जनसंख्या और पर्वतीय/ जनजातीय क्षेत्र की 3000 जनसंख्या आती है । यह ग्रामीण क्षेत्र में होती है और सरकार द्वारा चलाई जाती है । इसमें दो बहुप्रयोजन स्वास्थ्य कर्मचारी - एक पुरुष और एक महिला - होते हैं । एक उप केन्द्र में सामान्यतः अंतरंग-रोगी चिकित्सा की सुविधा नहीं होती है । औषधालय एक परामर्शी स्थान/कक्ष है जहाँ साधारणतया, अंतरंग रोगी चिकित्सा की सुविधा नहीं होती है ।

2.9.1.7 मद 9 : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र : यह ग्रामीण समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच का प्रथम सम्पर्क बिन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है । इसमें एक चिकित्सा अधिकारी और अन्य अर्ध चिकित्सा कर्मचारी होते हैं । यह सरकार द्वारा चलाई जाती है और सामान्यतः इसमें अंतरंग-रोगी और बाह्यरोगी चिकित्सा सुविधाएँ होती हैं । एक **कें. प्रा. स्वा. के** अधीन 6 से अधिक उप केन्द्र होते हैं और यह मैदानी क्षेत्र की लगभग 30,000 तथा पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्र की 20,000 जनसंख्या को अपनी सेवा प्रदान करता है ।

2.9.1.8 मद 10 : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र(सा.स्वा.के.) मैदानी क्षेत्र की 1.2 लाख जनसंख्या और पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्र की 80,000 जनसंख्या को अपनी सेवायें प्रदान करता है । रोगियों को परामर्श के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भेजा जाता है । इसमें चिकित्सा विशेषज्ञ और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी होते हैं तथा इसमें अंतरंग रोगी और बाह्य रोगियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होती हैं ।

2.9.1.9 मद 11 : सरकारी अस्पताल : वे चिकित्सा संस्थाएँ जहाँ बीमार व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए अंतरंग रोगी के रुप में भर्ती होने की व्यवस्था है, अस्पताल कहलाती हैं । केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों को इस मद के अंतर्गत लिया जायेगा ।

2.9.1.10 मद 12 : आयुष इकाई : आयुष इकाई का मतलब है कोई स्वास्थ्य केन्द्र/इकाई जो अध्याय एक में पैरा 1.8.45.1 में दिये गये ब्यौरे के अनुसार आयुष के तहत किसी भी चिकित्सा विधि के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है ।

2.9.1.11 मद 13 : निजी चिकित्सालय/चिकित्सक : निजी चिकित्सालय गैर-सरकारी चिकित्सकों का परामर्शी स्थान/कक्ष होता है । चिकित्सक वे हैं जिनके पास चिकित्सा की डिग्री/डिप्लोमा होती है और जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं द्वारा पंजीकृत भी होते हैं । ये चिकित्सक किसी भी चिकित्सा प्रणाली, जैसे ऐलोपैथी, होमियोपैथी, आयर्वेदिक, यूनानी -- को अपना सकते हैं ।

2.9.1.12 मद 14 : दवा की दुकान : किसी भी चिकित्सा प्रणाली, अर्थात ऐलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेदिक या यूनानी की दवाओं को बेचने वाली एक दुकान दवा की दुकान मानी जायेगी ।

2.9.1.13 मद 15 : आंगनवाड़ी केन्द्र (ICDS) : एकीकृत बाल विकास सेवा योजना छह वर्ष से कम के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तन्यदा माताओं के लिए स्वास्थ्य और पोषकता प्रदान करने वाला प्राथमिक सरकारी कार्यक्रम है ।

2.9.1.14 मद 16 : डाकघर : यह मद स्वतः स्पष्ट है ।

2.9.1.15 मद 17 : उचित मूल्य दुकान : उचित मूल्य दुकान वह दुकान है जो कुछ आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित मूल्य पर बेचती है । इसका स्वामित्व सरकार, स्थानीय स्व-शासन, एक सरकारी उपक्रम, एक फर्म के मालिक, सहकारी या निजी व्यक्तियों (अकेले या संयुक्त रुप से) या अन्य निकायों जैसे क्लब, न्यास आदि के हाथ में हो सकता है ।

2.9.1.16 मद 18 : सहकारी उधार सोसाइटी : सहकारी उधार सोसाइटी एक सोसाइटी हैं जिसका गठन कुछ लोगों (सोसाइटी के सदस्यों) के सहयोग से सदस्यों के लाभ के लिए किया जाता है । सदस्यों के अंशदान/निवेश द्वारा निधियां उठायी जाती हैं और लाभ को सदस्यों में बांट दिया जाता है । यहाँ सहकारी बैंकों पर भी विचार किया जाएगा ।

2.9.1.17 मद 19 : वाणिज्यिक बैंक : इसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इसके सहयोगी बैंको सहित शामिल हैं । यहाँ अन्य सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंकों को छोड़कर, पर भी विचार किया जायगा ।

2.9.1.18 मद 20 : पी.सी.ओ. : तारघर/सार्वजनिक टेलीफोन घर (पी.सी.ओ.)/ई.मेल केन्द्र में से जो ग्राम से सबसे निकट हो उसकी दूरी इस मद में संकेतांक में दर्ज की जायेगी । एक सार्वजनिक टेलीफोन घर या ई-मेल केन्द्र वह है, जिसका उपयोग ग्रामीण शुल्क देकर या निःशुल्क कर सकते हैं । ई-मेल इलैक्ट्रानिक डाक है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेटवर्क (इन्टरनेट) द्वारा भेजा जाता है ।

2.9.1.19 मद 21 : पशुचिकित्सा अस्पताल/औषधालय : पशुचिकित्सा अस्पताल/औषधालय में पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था होती है ।

2.9.1.20 मद 22 : उर्वरक/कीटनाशक दुकान : इनमें उर्वरक और/या कीटनाशकों की बिक्री होती है ।

2.9.1.21 मद 23 : कृषि उत्पाद बाजार/ग्रामीण प्राथमिक बाजार : इस कोटि में आवधिक नियंत्रित/नियंत्रित बाजारों से जुड़े बाजार और स्थानीय निकायों अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के स्वामित्वाधीन बाजार, जिन्हें हाट, पैंठ और शैन्डी आदि के नाम से जाना जाता है, शामिल होंगे ।

2.9.2 मद 23-26 : कालम (3) : ग्राम में सुख-साधनों की उपलब्धता (संकेतांक) :

2.9.2.1 मद 24 (ए) : पेय जल का मुख्य स्रोत : ग्राम में रहने वालों के पेय जल का मुख्य स्रोत पहचाना जाएगा और उसे संकेतांकों में यहां दर्ज किया जाएगा । ''बोतल पानी'' का मतलब सील बन्द बोतलें, मरतबान या पाउच द्वारा प्राप्त पैकेज पीने के पानी है । संकेतांक हैं :

मुख्य स्रोत	**संकेतांक**
बोतलबंद जल	01
नल	02
नलकूप/चापाकल	03
कुआं :	
संरक्षित	04
असंरक्षित	05
हौज/तालाब(पीने के लिए सुरक्षित)	06
अन्य हौज/तालाब	07
नदी/नहर/झील	08
झरना	10
संग्रहित वर्षा जल	11
अन्य	19

2.9.2.2 मद 24 (बी) : पीने का पानी : दूरी(संकेतांक) पीने के पानी का मुख्य स्रोत ग्राम के भीतर या बाहर स्थित हो सकता है । यदि वह ग्राम के भीतर है तो संकेतांक 1 दर्ज किया जायेगा । अन्यथा मुख्य स्रोत की दूरी पर निर्भर करते हुए संकेतांक 2 या 3 दर्ज किया जायेगा ।

2.9.2.3 मद 25 : जल निकास प्रणाली का प्रकार : सूचना संकेतांकों में दर्ज होगी ।

संकेतांक हैं :

जल निकास प्रणाली का प्रकार	**संकेतांक**
भूमिगत	1
ढका पक्का	2
खुला पक्का	3
खुला कच्चा	4
जल-निकास नहीं	5

2.9.2.4 मद 26 : बिजली का कनेक्शन (संकेतांक) : यह सूचना संकेतांक में दर्ज दर्ज की जाएगी ।

बिजली का कनेक्शन	**संकेतांक**
हां :	
कनेक्ट किये गये परिवारों का प्रतिशत (द्र)	
द्र □□25S	1
25S□□□द्र □□50□	2
.....	
द्र □ 50S	3
नहीं	4

यदि कोई परिवार बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो संकेतांक 4 दिया जाएगा ।

2.9.3 मद 27 : क्या ग्रामीणों ने पिछले 365 दिनों के दौरान एमजी नरेगा कार्यक्रम में भाग लिया : यह ज्ञात किया जायेगा कि क्या ग्रामीणों ने पिछले 365 दिनों के दौरान एमजी नरेगा कार्यक्रम में भाग लिया या नहीं । भागीदारी की स्थिति को यहां दर्ज किया जायेगा । यह आवश्यक नहीं कि भागीदारी ग्राम के भीतर ही हो, यह

आसपास के अन्य ग्रामों में भी की जा सकती है । यदि उत्तर हां है तो संकेतांक 1 दर्ज किया जायेगा अन्यथा संकेतांक 2 होगा ।

2.8.4 मद 28 : सूचक संकेतांक : खंड 7 में सूचना ग्राम के एक या अधिक जानकार व्यक्ति(यों) से प्राप्त की जानी है । प्राप्त की गई ऐसी सूचनाओं के स्रोत को इस मद में दर्ज किया जाना है । यदि एक से अधिक स्रोत हैं तो सबसे अधिक सूचना प्रदान करने वाले सूचक का संकेतांक दर्ज किया जायेगा ।
संकेतांक है :

सरपंच (पुरुष)	1
सरपंच (महिला)	2
अन्य पंचायत सदस्य	3
पटवारी/ग्राम सेवक	4
शिक्षक	5
स्वास्थ्यकर्मी	6
अन्य	9

2.10 खण्ड 8 : अन्वेषक/सहायक पर्यवेक्षी अधिकारी की अभ्युक्ति : अनुसूची में किसी असामान्य स्थिति/प्रविष्टि पर अन्वेषक/सहायक पर्यवेक्षी अधिकारी अपनी अभ्युक्ति यहां दर्ज कर सकता है ।

2.11 खण्ड 9 : अन्य पर्यवेक्षी अधिकारी(यों) द्वारा टिप्पणियां : इस अनुसूची से संबंधित कार्य का निरीक्षण करने वाले पर्यवेक्षी अधिकारी यहाँ अपनी टिप्पणी दे सकते हैं ।

2.12 प्रतिदर्श परिवारों का प्रतिस्थापन : किसी कारणवश एक अनुसूची के किसी एक प्रतिदर्श परिवार का सर्वेक्षण न किया जा सके तो उसे उसी द्वि.च.स्त. की अगली उच्च प्रतिचयन क्रम संख्या वाले (बशर्ते कि वह पहले न चुना गया हो) प्रतिस्थापित कर दिया जायगा । एक कालम में एक द्वि.च.स्त. की अन्तिम प्रतिदर्श क्रम संख्या वाले प्रतिदर्श का प्रतिस्थापी उसी कालम की सबसे छोटी प्रतिदर्श क्रम संख्या वाला होगा । यदि प्रतिस्थापित परिवार ''आहत'' हो जाय तो उसे उसी विधि से किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा । यदि यह परिवार भी ''आहत'' होने के कारण बाहर हो जाता है तो फिर प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं है । **तथापि इस बात का ध्यान रहे कि प्रत्येक अनुसूची प्ररुप (अर्थात् अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1), 1.0 (प्ररूप 2), 10) के लिए, यदि H>O है तो प्रत्येक खे.स./उ.ख. के लिए प्रत्येक द्वि.च.स्त. के लिए हमेशा कम से कम एक प्रतिदर्श परिवार का सर्वेक्षण किया जाना है । इस प्रतिबंध के पालन हेतु कुछ मामलों में प्रतिस्थापन के लिए दो से अधिक बार भी प्रयत्न किये जाएँ ।** ऐसे मामलों में, तथ्य को अभ्युक्ति कालम (खंड 8 और 9) में दर्ज किया जाना है ।

यह नोट किया जाना चाहिए कि परिवारों के प्रतिस्थापन के मामले में अनुसूची के शीर्ष पर ''**प्रतिस्थापन**'' शब्द लिखा दिया जाना चाहिए ।

2.13 यादृच्छिक संख्याएं : प्रत्येक अन्वेषक को यादृच्छिक संख्याओं की एक तालिका दी जाती है । केन्द्रीय प्रतिदर्श के मामले में तालिका का nवां कालम देखा जायगा तथा राज्य प्रतिदर्श के मामले में (n+1)वां कालम देखा जायगा, जहाँ n प्रतिदर्श प्रथम चरण इकाई की क्रम संख्या के अंतिम दो अंक हैं । जब n = 00 हो तो उसे 100 माना जायेगा । प्रयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या उस रेंज की सर्वोच्च संख्या के बराबर होगी जिसके भीतर यादृच्छिक संख्या का चयन किया जाना है । तथापि 1 और 10 या 1 और 100 के बीच यादृच्छिक संख्या निकालने की आवश्यकता हो तो केवल एक या दो अंकीय यादृच्छिक संख्याओं का उपयोग किया जाए, जहाँ यादृच्छिक संख्या "0", "10" के लिए और यादृच्छिक संख्या "00", 100 के लिए आयेंगी ।

जब भी आवश्यकता पड़े खे.स./उ.खं. चयन के लिए पहली दो यादृच्छिक संख्या का उपयोग किया जायेगा । बाद वाली यादृच्छिक संख्याएँ परिवारों के निम्नक्रमानुसार चयन के लिए प्रयोग में लाई जाएँगी : (i) खे.स./उ.खं.

1 के लिए - अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1) के तीन द्वि.च.स्तर के लिए परिवार, अनुसूची 1.0 (प्ररूप 2) के तीन द्वि.च.स्त. के लिए परिवार, अनुसूची 10 के तीन द्वि.च.स्त. के लिए परिवार और तब (ii) खे.स./उ.खं.-2 के लिए - अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1) के तीन द्वि.च.स्त. के लिए परिवार, अनुसूची 1.0 (प्ररूप 2) के तीन द्वि.च.स्त. के लिए परिवार, अनुसूची 10 के तीन द्वि.च.स्त. के लिए परिवार । यादृच्छिक संख्याओं का यह विशेष कालम यदि समाप्त हो जाये तो अगले कालम का उपयोग किया जाए । इसी प्रकार यदि यादृच्छिक संख्या सारणी के सभी कालम समाप्त हो जायें, तो पहले कालम का उपयोग किया जायगा ।
(प्ररूप 1), 1.0 (प्ररूप 2), 10

2.14 प्रतिदर्श प्र.च.इ. का प्रतिस्थापन :

(क) यदि कोई प्रतिदर्श प्र.च.इ. पृथक रुप से पहचाने जाने योग्य न होने या खोजे जाने योग्य न होने, सुगम्य न होने या अन्य किसी कारण से सर्वेक्षित नहीं किया जा सके तो उसका प्रतिस्थापन किया जायगा । ऐसे सभी मामले निम्नलिखित को सूचित किए जाएँगे :-

उप महानिदेशक (टी.सी.), स.वि.प्र., रा.प्र.स.सं.,
महलानोबिस भवन,
164, गोपाल लाल ठाकुर रोड, कोलकाता - 700 108.
ई-मेल पता : **dpd_tc@yahoo.co.uk**
फैक्स : 033 - 25771025

पत्र की एक प्रति इन्हें प्रेषित की जाए :

निदेशक (समन्वय), स.अ.अ.प्र., रा.प्र.स.सं.,
महलानोबिस भवन,
164, गोपाल लाल ठाकुर रोड, कोलकाता - 700 108.
ई-मेल पता : **sdrd@cal2.vsnl.net.in**
फैक्स : 033 - 25776439 दूरभाष : 033-25781495

यदि प्रतिस्थापित प्र.च.इ. में भी मूल प्र.च.इ. के समान ही समस्या हो तो इसकी सूचना तुरंत दी जाए ताकि एक दूसरा प्रतिस्थापन किया जा सके और स्तर की रिक्तता रोकी जा सके । यदि सारे प्रयत्नों के बावजूद किसी प्रतिस्थापित प्र.च.इ. का सर्वेक्षण नहीं किया जा सके (अर्थात् खण्ड 1, मद 17 में संकेतांक 7 हो), तो केवल खण्ड 0, 1, 2, 9, 10 और 11 को भरकर अनुसूची "0.0" बिना भरे जमा की जायगी । ऐसे मामलों में अनुसूची के पहले पृष्ठ में सबसे ऊपर **"आहत"** शब्द लिख दिया जाएगा ।

प्रत्येक उप-प्रतिदर्श के लिए, प्रत्येक स्तर से हमेशा कम से कम एक प्र.च.इ. का सर्वेक्षण सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि स्तरों की रिक्तता रोकी जा सके ।

(ख) यदि एक प्रतिदर्श प्र.च.इ. सर्वेक्षण के समय आबादीरहित पाया जाता है या वहाँ की आबादी कुछ प्राकृतिक विपत्तियों के कारण अन्यत्र कहीं चली गई हो, या उसे **"शून्य मामला"** माना गया हो, तो उसे प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा । इसे एक वैध प्रतिदर्श माना जायेगा और एक रिक्त अनुसूची 0.0 केवल खंड 0, 1, 2, 9,10 और 11 भरकर प्रस्तुत की जायगी । ऐसे मामलों में, अनुसूची के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर **'अवासित'** या **"शून्य मामला"** जो उपयुक्त हो लिख दिया जायेगा । तथापि अरुणाचल प्रदेश में तथा संभवतः उत्तर पूर्वी राज्यों के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी, जहाँ, उदाहरणार्थ झूम कृषि प्रचलित है, पूरा गाँव एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है । ऐसे मामलों में प्रतिदर्श ग्राम, उस जगह सर्वेक्षित किया जाएगा जहाँ वह वर्तमान में अवस्थित है तथा अपने मूल स्थान पर उपस्थित न होने के कारण उसे 'अवासित' नहीं माना जाएगा ।

(ग) यदि एक प्रतिदर्श ग्राम को राज्य सरकार की अधिसूचना या जनगणना प्राधिकरण द्वारा (स्वयं में एक नगर या किसी अन्य नगर में जोड़कर) नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और यदि यह प्र.च.इ(यों) के चयन के लिए उपयोग किये जाने वाले नगरीय ढांचे के अंतर्गत शामिल है तो इसे "शून्य मामला" माना जायेगा और इस मामले में पिछले अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया अपनायी जायेगी । तथापि यदि यह प्रथम चरण इकाई के नगरीय ढांचे के अंतर्गत नहीं आया है तो इसका सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम के अनुसार ही किया जाएगा । फिर भी ऐसे

मामलों में यदि मूल ग्राम की सीमा की पहचान न हो पाये तो इसे प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा । यदि ग्राम का केवल एक भाग नगर में मिल गया है तो उस स्थिति में भी बचे हुए भाग का सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा । यह सुझाव दिया जाता है कि किसी प्रतिदर्श को एक शून्य मामला मानने से पहले सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग को लिखा जाय ।

(घ) *यह ध्यान में रखना जरुरी है* कि सूचीकरण अनुसूची 0.0 प्रत्येक प्रतिदर्श प्र.च.इ. के लिए प्रस्तुत की जाएगी, चाहे वह सर्वेक्षित/प्रतिस्थापित (शून्य मामला और अवासित सहित) या एक '**आहत**' (कैजुअल्टी) ही क्यों न हो ।

2.15 प्रचइयों की पुनरावृत्ति : यदि एक प्रतिदर्श प्रचइ की पुनरावृत्ति प्रतिदर्श सूची में हुई है, तो इसका सर्वेक्षण उतनी बार किया जायेगा, जितनी बार उसका चयन हुआ है । सम्बन्धित मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियायें नीचे दी गई हैं :

2.15.1 राज्य या केन्द्रीय प्रतिदर्श प्र.च.इ.(यों) में पुनरावृत्ति :

मामला (क) : बगैर खेड़ा-समूह/उप-खंड गठन वाले : यदि पुनरावृत्ति उसी उप-दौर में हो तो सूचीकरण केवल एक बार किया जायगा । सूचीकरण अनुसूची, पहचान विवरण को जिस क्रम संख्या पर उसकी पुनरावृत्ति पायी जाए उसके पहचान विवरण में परिवर्तित करके, नकल की जायगी । (जो मदें परिवर्तित हो सकती हैं ये केवल निम्न हैं :- क्रम संख्या और उप-प्रतिदर्श) । प्रतिदर्श परिवार नये सिरे से चुने जायेंगे । तथापि यदि कोई प्रतिदर्श परिवार जो पहले ही चुना जा चुका है, पुनः चुना जाता है तो उसका प्रतिस्थापना किया जाए । यदि नये परिवार (अर्थात पहले दौर में नहीं चुने गये) की आवश्यक संख्या ढांचे में उपलब्ध न हो जिसके कारण कुछ परिवार दूसरे या बाद के दौरे में पुनः चयित हो जाते हैं तो ऐसे परिवारों के लिए विभिन्न खंडों में प्रविष्टियां नकल करके भरी जा सकती हैं । यदि प्र.च.इ. की पुनरावृत्ति भिन्न उपदौरों में होती है तो इसका सर्वेक्षण नये सूचीकरण और प्रतिदर्श चयन सहित एक नये प्रतिदर्श की तरह किया जाना है ।

मामला (ख) : खेड़ा समूह/उप-खंड गठन वाले : यदि पुनरावृत्ति उसी उप-दौर में हुई है तो प्रथम अवसर के दौरान बनाए गये खेड़ा-समूहों/उप-खण्डों का उपयोग परवर्ती पुनरावृत्तियों के लिए किया जाएगा । तथापि दूसरे और परवर्ती अवसरों पर, सर्वेक्षण नये चयित खेड़ा-समूहों/उप-खंडों में किया जायेगा । निस्संदेह, प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. संख्या '1' वहीं रहेगी । परिवारों के चयन के लिए, सामान्य प्रक्रिया अपनायी जायेगी जैसी कि मामला (क) में सुझायी गयी है । तथापि, यदि प्रचइ की पुनरावृत्ति एक भिन्न उप दौर में होती है तो इसका सर्वेक्षण एक नये प्रतिदर्श की तरह नये सूचीकरण और प्रतिदर्श चयन के साथ किया जायेगा ।

सामान्यतः पुछे गये प्रश्न और उनके उत्तर : अनुसूची 0.0

क्र.स.	खंड	मद	कॉलम	विषय	प्रश्न	उत्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	5	सामान्य		परिवारों का सूचीकरण	बूढ़े मां-बाप को बच्चों ने छोड़ दिया और वे भुगतान करके वृद्धाश्रम में रहते हैं । क्या उन्हें सूचीकृत किया जायेगा ?	हाँ । तथापि, यदि बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है और निराश्रय गृह में अनाथ जैसे रहते हैं तो उन्हें सूचीकृत नहीं किया जायेगा ।
2.	5	सामान्य		परिवारों का सूचीकरण	ग्राम का कुछ हिस्सा नगरीय है और कुछ हिस्सा ग्रामीण है । क्या केवल ग्रामीण हिस्स को ही लिया जायेगा ?	ग्राम के नगरीय हिस्से को नहीं लिया जायेगा बशर्ते कि नगरीय प्रतिदर्श के चयन के लिए न.ढा.सं. में नगरीय हिस्से का प्रयोग किया गया है । अन्यथा पूरे ग्राम को ग्रामीण प्रतिदर्श के रूप में सर्वेक्षित किया जायेगा ।
3.	5	सामान्य		परिवारों का सूचीकरण	सूचीकरण के समय यह पाया गया कि मकान तालाबन्द था और पिछले 8 माह से परिवार वहाँ नहीं रहता है । क्या इसे तालाबन्द या रिक्त माना जायेगा ?	उसे रिक्त के रूप में माना जायेगा ।
4.	5	सामान्य		परिवारों का सूचीकरण	यदि दो भाई होस्टल के एक ही कमरे में रहते हैं और अपनी आय को एक साथ रखते हैं, क्या उन्हें एक परिवार माना जायेगा ?	हाँ, उन्हें एक एकल परिवार माना जायेगा, क्योंकि वे अपनी आय को एक साथ खर्च करते हैं पैरा 1.8.3 (i) देखें ।
5.	5	सामान्य		परिवारों का सूचीकरण	एक परिवार में पेयिंग गेस्ट है और 10 लोग वहां रहते हैं और उसी रसोई से भोजन लेते हैं । क्या सभी सदस्य एक एकल परिवार होगा या प्रत्येक सदस्य एक एकल सदस्य परिवार होगा ?	यह एक मेस या होस्टल की तरह है । प्रत्येक सदस्य एक एकल सदस्य परिवार के रूप में माना जायेगा ।
6.	5	सामान्य		परिवारों का सूचीकरण	क्या एक मठवासी जो मठ में शिष्यों को पढ़ाने के लिए वेतन आधार पर नियुक्त किया गया है, सूचीकृत किया जायेगा ?	मठ में रह रहे मठवासियों को सर्वेक्षण की व्याप्ति से बाहर रखा गया है ।
7.	5	सामान्य		परिवारों का सूचीकरण	जब काथलिक संस्थाओं को सूचीकृत किया जाता है, तो क्या पादरी या नन बनने के लिए वहाँ पढ़ाई करते और वहीं निवास करते शिष्यों को सूचीकृत किया जायेगा ?	आश्रमों/होस्टलों में रह रहे शिष्यों को सूचीकृत किया जायेगा ।
8.	5	सामान्य		परिवारों का सूचीकरण	क्या दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों को सूचीकृत किया जायेगा ?	यदि उनका सामान्य आवास देश से बाहर है, तो उन्हें सूचीकृत नहीं किया जायेगा ।
9.	5	सामान्य		परिवारों का सूचीकरण	एक शादी शुदा बेटी अपने पीहर में 6 महीने से अधिक से रह रही है । क्या उसे माता-पिता के परिवार का सदस्य माना जायेगा ?	हाँ ।

क्र.स.	खंड	मद	कॉलम	विषय	प्रश्न	उत्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	5	सामान्य		परिवारों का सूचीकरण	एक ट्रक ड्राइवर लगातार छह महीने या अन्यथा संदर्भ अवधिके दौरान घर से बाहर रहता है । क्या उसे सामान्य परिवारिक सदस्य के रूप में सूचीकृत किया जायेगा ?	नहीं, उन्हें सूचीकृत नहीं किया जायेगा ।
11.	5	सामान्य		परिवारों का सूचीकरण	सूखे के कारण परिवार के कुछ सदस्य अस्थायी तौर पर रोजगार की तलाश में ग्राम/नगर से बाहर जाते हैं । यदि ऐसे सदस्यों को सूचीकृत किया जाता है तो विस्तृत पूछताछ के समय सूचना लेने में मुश्किल होती है । क्या ऐसे सदस्यों को छोड़ दिया जायेगा ।	छह महीने से कम की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर बाहर रहने वाले सदस्यों को शामिल किया जायेगा । यदि विस्तृत पूछताछ के लिए चयनित किया जाता है, तो उस विशिष्ट व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए ।
12.	5	सामान्य		परिवारों का सूचीकरण	क्या खंड 5 और खंड 5.1 को एक साथ भरा जायेगा ?	हाँ । सूचीकरण के समय यदि पाया गया कि एक परिवार के पास खंड 5.1 में सूचीकृत मदों में कम से कम कोई एक भी कब्जे में है, तो उसे समृद्ध माना जायेगा और उसे खंड 5.1 में भी सूचीकृत किया जायेगा ।
13.	1	14 एवं 15	-	वर्तमान लगभग जनसंख्या	यदि मद 14 एवं 15 में जनसंख्या में काफी भिन्नता है, तो मद 15 में दर्ज किया जायेगा ।	लगभग वर्तमान जनसंख्या को टिप्पणी के साथ दर्ज करें । पैरा 2.1.4 को देखें ।
14.	4.1	-	2	खेड़ा समूह गठन	प्राकृतिक खेड़ा के बगैर वाले बड़े ग्राम के लिए क्या सम्पूर्ण ग्राम को छोटे खेड़ों में विभाजित किया जायेगा और खंड 4.1 में दर्ज किया जायेगा ?	हाँ । ग्राम क्षेत्र को कृत्रिम रूप से विभाजित करके खेड़ा गठित किया जायेगा और उन्हें खंड 4.1 में सूचीकृत किया जायेगा । पैरा 2.0.3.1 देखें ।
15.	4.1	-	1	खेड़ा समूह गठन	क्या खंड 4.1 मं सूचीकृत खेड़ों की संख्या खेड़ा समूहों की संख्या से कम हो सकती है ?	नहीं । तथापि, यदि प्राकृतिक खेड़ा की जनसंख्या काफी अधिक है तो खेड़ों की संख्या खेड़ा समूहों से कम हो सकती है।
16.	5	-	6	प्रमुख आय	एक परिवार गैर-कृषि कार्यकलापों को चलाने के लिए स्व-कृषि उत्पाद का उपयोग करता है । ऐसे मामले में परिवार को कैसे वर्गीकृत करें ?	परिवार को कृषि और गैर-कृषि कार्यकलापों से आय के आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा, यह देखे बगैर कि गैर-कृषि उत्पादन के लिए किस इनपूट के स्रोत का प्रयोग किया है ।
17.	5	-	6	द्विचस्त गठन	एक परिवार का मुख्य आय पेंशन/प्रेषण से है । क्या इस कालम के लिए इसे गैर-कृषि कार्यकलाप से आय माना जायेगा ?	नहीं, इस परिवार को संकेतांक 2 दिया जायेगा क्योंकि इसे आर्थिक कार्यकलाप नहीं माना जायेगा ।
18.	5	-	7	परिवार के लिए औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय	क्या संदर्भ वर्ष के दौरान हुए सभी व्यय जैसे शादि आदि, को परिवार के औसत मासिक कुल उपभोक्ता व्यय के निर्धारण के लिए लिया जायेगा ?	हाँ । संदर्भ वर्ष के दौरान हुए सभी व्यय को लिया जायेगा । पैरा 2.6.6.1 देखें ।

क्र.स.	खंड	मद	कॉलम	विषय	प्रश्न	उत्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	5	-	16-26	प्रतिदर्श परिवार संख्या	कालम 16-21 में परिवारों के प्रतिस्थापन के मामले में, प्रतिस्थापन के पश्चात् चयनित परिवार की प्रतिदर्श परिवार संख्या क्या होगी ?	मूल प्रतिदर्श परिवार की संख्या ही प्रतिस्थापन के पश्चात् चयनित परिवार की प्रतिदर्श परिवार संख्या होगी ।
20.	5	-	16-21	प्रतिदर्श परिवार की पुनरावृत्ति	एक प्र.च.इ. में यदि परिवारों की कुल संख्या 24 से कम या उस के बराबर है, तो अनु. 1.0 (प्रकार-1) एवं (प्रकार-2) और अनु. 10 की पूछताछ के लिए परिवारों की पुनरावृत्ति की जायेगी या नहीं ?	हाँ, ऐसे मामले में, अनुसूचियों की पुछताछ के लिए परिवारों की पुनरावृत्ति की जायेगी । ऐसे मामलों में पहले अनु. 1.0 (प्रकार-1) की पूछताछ की जायेगी । उसके पश्चात् अनु.1.0 (प्रकार-2) के केवल खंड 5.2 और खंड 13 की पूछताछ की जायेगी । यह ध्यान में रखना है कि अनु. 1.0 (प्रकार-2) के खंड 5.2 की सूचना की संदर्भ अवधि 7 दिनों की होगी और यह सूचना स्वतंत्र रूप से एकत्रित की जायेगी यह देखे बगैर की अनुसूची 1.0 (प्रकार-1) के खंड 5.2 में क्या है । उसके पश्चात् अनुसूची 10 को लिया जायेगा और वर्कशीट के लिए पूछताछ नहीं की जायेगी । अब, उन भागों को जिनकी सीधे तौर पर पूछताछ नहीं हुई है अर्थात् अनु. 1.0 (प्रकार-2) के खंड 5.2 और खंड 13 को छोड़कर सभी भागों और अनुसूची 1.0 के वर्कशीट को अनुसूची 1.0 (प्रकार-1) में उपलब्ध तदनुरूपी सूचना से भरा जायेगा।
21.	5	-	16-21	प्रतिदर्श परिवार का चयन	उप-खंड गठन के बगैर प्रतिदर्श प्र.च.इ.: द्वि.च.स्त. 1 में केवल 4 परिवार ही हैं । 4 परिवारों में से दो परिवारों को अनुसूची 1.0 (प्रकार-1) के लिए चयनित किया गया है (क) क्या शेष गैर-चयनित परिवारों को अनुसूची 1.0 (प्रकार-2) के लिए यादृच्छिक क्रम संख्या देकर या यादृच्छिक क्रम संख्या के बगैर आवंटन किया जायेगा ? (ख) अनुसूची 10 के लिए कोई परिवार अलग से उपलब्ध नहीं है, तो दो परिवारों को यादृच्छिक रूप से या प्रथम दो वरियता द्वारा कैसे चयनित किया जाएगा ? (ग) अनुसूची 10 के लिए चयनित परिवारों जिन्हें अनुसूची 1.0(प्रकार-1 या 2) के लिए पहले से ही गोल घेर दिया गया है, उसे फिर से अनुसूची 10 के	(क) शेष गैर-चयनित परिवारों को आवंटित किया जायेगा । (ख) यादृच्छिक संख्या सारणी के प्रयोग द्वारा किया जायेगा । (ग) नहीं, उसे दो बार गोल घेरा नहीं जायेगा क्योंकि वे प्रतिस्थापित परिवार नहीं है ।

क्र.स.	खंड	मद	कॉलम	विषय	प्रश्न	उत्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					लिए गोल घेर दिया जायेगा या नहीं ?	
22.	5.1	सामान्य		द्विचस्त 1 का ढांचा	खेड़ा-समूह या उप-खंड नहीं गठित होने के मामले में, क्या द्वि.च.स्त. 1 के ढांचे में 20 समृद्ध परिवार शामिल होंगे ?	यदि वहाँ खेड़ा-समूह/उप खंड गठित है, तो प्रत्येक खेड़ा-समूह/उप खंड में द्वि.च.स्त. 1 के ढांचे में 10 समृद्ध परिवार शामिल होंगे । यदि खेड़ा-समूह/उप-खंड गठित नहीं होता है, तो भी द्वि.च.स्त. 1 के ढांचे में 10 समृद्ध परिवार शामिल होंगे ।
23.	5.1	सामान्य		अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	यदि एक परिवार का कालम 4 से 7 में एक से अधिक में प्रविष्टि संकेतांक 1 है, क्या ऐसे संकेतांको की गणना अपेक्षाकृत समृद्ध परिवारों के निर्धारण का आधार तय करेगी ?	यदि किसी परिवार का कालम 4 से 7 में एक से अधिक में संकेतांक 1 की प्रविष्टि है, तो ये संकेतांक अपेक्षाकृत समृद्ध परिवारों का निर्धारण का आधार नहीं होगा । अन्वेषक स्थानीय जानकार व्यक्तियों की सलाह से 10 समृद्ध परिवारों का चयन करेंगे ।
24.	5.1	सामान्य		अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	एक चयनित ग्राम में अधिकतर परिवार ऐसे पाये गये जिनके पास कालम 4 से 6 वाली मदें उपलब्ध थीं । उन्हें कैसे अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार समझा जाय ?	यदि एक चयनित ग्राम/खेड़ा-समूह में अधिकतर परिवार समृद्ध की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार की पहचान के लिए नहीं लिया जायेगा ।
25.	5.1	सामान्य		अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	एक परिवार द्वारा कुछ टिकाऊ वस्तुओं की किराया खरीद की गई या तोहफे के तौर पर पाई गई । क्या उन्हें अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार माना जायेगा ?	हां, गिफ्ट/किराए पर खरीदी गयी कोई भी विशिष्ट परिवार के स्वामित्व में है, तो उस परिवार को अपेक्षाकृत समद्ध परिवार माना जायेगा ।
26.	5.1	सामान्य		अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	एक ग्राम में कोई भी परिवार खेड़ा 5.1 के कोई भी मापदंड को पूरा नहीं करता है । तथापि, कुछ परिवारों के पास मोटर साईकिल (2 व्हीलर) है । क्या इन्हें समृद्धी के मापदंड में लिया जा सकता है ?	नहीं, मोटर सोईकिल वाले परिवारों को समृद्ध परिवारों में नहीं लिया जायेगा ।
27.	5.1	सामान्य		अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	यदि एक प्र.च.इ. में खंड 5.1 के कालम 4-10 में सूचित कोई भी मापदंड को कोई भी परिवार पूरा नहीं करता है, तो समृद्ध वर्ग को कैसे पहचानेंगे ?	इस मामले में द्वि.च.स्त. 1 शून्य होगा ।
28.	5.1	-	4	अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	एक परिवार जिसके पास कार है, लेकिन वह चलने की स्थिति में नहीं हैं, क्या उसे समृद्ध परिवार के निर्धारण के लिए माना जायेगा ?	हाँ, उसे समृद्ध परिवार के निर्धारण के लिए लिया जायेगा बशर्ते कि वह रद्दी के मूल्य की स्थिति में ना हो ।
29.	5.1	-	4-6	अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	केरल में सामान्यतः मद 4-6 के लिए यह पाया गया है कि घर का मालिक गल्फ या देश के अन्य भाग में रोजगार	(क) देश में वास करने वाले ऐसे परिवारों को मालिक माना जायेगा । (ख) समृद्ध परिवार की पहचान के प्रयोग के लिए

क्र.स.	खंड	मद	कॉलम	विषय	प्रश्न	उत्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					कर रहा है और वह परिवार का सदस्य नहीं है, मगर उसके परिवार के स्वामित्व में मद 4-6 के लिए वस्तुयें हैं । (क) क्या, इन मदों के स्वामित्व वाले वस्तुओं के लिए परिवार के लिए प्रविष्टि सकारात्मक होगी ? (ख) क्या होगा यदि वास्तविक मालिक, देश के किसी और भाग में सर्वेक्षित होता है और इन मदों पर अपना स्वामित्व का हक जताता है ?	उसे मालिक के रूप नहीं माना जायेगा ।
30.	5.1	-	7	अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	वे डाक्टरों/वकीलों जिनकी आय काफी कम है, क्या उन्हें समृद्ध परिवार माना जायेगा ?	हाँ ।
31.	5.1	-	7	अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	उच्च वेतन वाले व्यक्तियों को तय करने के लिए क्या परिवार के एक से अधिक सदस्यों का वेतन एक साथ जोड़ा जायेगा ?	उच्च वेतन केवल पारिवार के एक सदस्य से संबंधित होगा ।
32.	5.1	-	7	अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	क्या बड़े व्यापार वाले परिवारों को समृद्ध परिवार के रूप में माना जायेगा ?	हाँ ।
33.	5.1	-	8	अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	दो या अधिक परिवारों को संयुक्त रूप से 7 हेक्टेयर या अधिक कृषि भूमि का स्वामित्व जैसा कब्जा पाया गया यह उनकी गैर-बँटवारे की सम्पत्ति है । बँटवारे के पश्चात् सम्पत्ति 7 हेक्टेयर से कम हो जाने की सम्भावना है । क्या उसे खंड 5.1 के कालम 8 के अन्तर्गत एक समृद्ध परिवार में शामिल किया जायेगा, जहाँ अन्य परिवार का भी उस सम्पत्ति में अंश/हक है ?	इस मामले में परिवार को समृद्ध नहीं माना जायेगा ।
34.	5.1	-	8	अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	एक परिवार ने 7 हेक्टेयर से अधिक भूमि पट्टे पर लिया है और उसमें खेती कर रहा है । क्या परिवार को समृद्ध माना जायेगा ?	नहीं । परिवार के स्वामित्व में भूमि होनी चाहिए ।
35.	5.1	-	10	अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	एक परिवार के पास बड़ी संख्या में बकरी/भेड़/सुअर आदि है । क्या परिवार को समृद्ध परिवार माना जायेगा ?	परिवार को समृद्ध नहीं माना जायेगा क्योंकि केवल गाय, भैंस और ऊँट को ही समृद्ध में लिया जायेगा ।
36.	5.1	-	10	अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	केवल भैंस को ही लिया जायेगा या भैंस के बछड़े को भी गिना जायेगा ?	सभी को लिया जायेगा ।
37.	5.1	-	10	अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	एक ग्रामीण परिवार के पास एक हाथी और दो घोड़े हैं, मगर समृद्ध के मापदंड	नहीं ।

क्र.स.	खंड	मद	कॉलम	विषय	प्रश्न	उत्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					का कोई अन्य सामान नहीं है । क्या उस परिवार को समृद्ध माना जायेगा ?	
38.	5.1	-	10	अपेक्षाकृत समृद्ध परिवार	एक परिवार के पास अधिक संख्या में सुअर हैं (अर्थात् 10 या अधिक); क्या इस परिवार को समृद्ध परिवार माना जायेगा ?	नहीं ।
39.	7		3	ग्राम में सुविधा	एक बस स्टाप अनुग्रह बस स्टाप के रूप में निर्दिष्ट है । क्या उसे इस मद में शामिल किया जायेगा ?	हाँ ।
40.	7	9	3	ग्राम में सुविधा	कुछ प्रा.से.के./डिस्पेन्सरी में कोई डॉक्टर नहीं है और न हीं दवाइयां उपलब्ध हैं ।	डाक्टर की उपस्थिति या दवाइयों की उपलब्धता पर ध्यान दिये बगैर हीं संगत दूरी संकेतांक दिया जायेगा ।
41.	7	13	3	ग्राम में सुविधा	एक ग्राम में, पंजीकरण के बगैर हीं पंसारी की दुकानें दवाइयां बेचती हैं ? क्या उस ग्राम में दवाई दुकान होना माना जायेगा ?	नहीं, दवा की दुकान वाला ग्राम नहीं माना जायेगा ।
42.	7	13	3	ग्राम में सुविधा	एक ग्राम में ऐलोपैथी दवाओं की कोई दुकान नहीं है । एक घर से केवल हर्बल दवाईयां बेची जाती हैं और ग्रामवासियों द्वारा इस सुविधा का उपयोग किया जाता है । क्या उस ग्राम में दवा की दुकान होना माना जायेगा ?	नहीं, उसे दवा की दुकान होना नहीं माना जायेगा ।
43.	7	19	3	ग्राम में सुविधा	खंड II के अनुसार, मद का विवरण पी.सी.ओ. है, मगर खंड I के अनुसार इसके अंतर्गत तार कार्यालय, ई-मेल केन्द्र भी शामिल हैं । वे इस मद के लिए वास्तव में क्या शामिल करना है ?	खंड I के मद 20 (पैरा 2.9.1.18) में इस मद के लिए दिये गये विवरण का अनुसरण किया जाए ।
44.	7	19	3	ग्राम में सुविधा	क्या सिक्का डालने की सुविधा वाले टेलिफोन को पी.सी.ओ. माना जायेगा?	हाँ, उसे माना जायेगा ।
45.	7	24	3	ग्राम में सुविधा	पीने के पानी का मुख्य स्रोत पड़ोस के ग्राम का तालाब है । यहाँ कौन सा संकेतांक दर्ज किया जायेगा ?	तालाब के स्तर अनुसार (पीने के पानी के लिए आरक्षित या अन्य टंकी/तालाब), संकेतांक 06 या 07 दिया जायेगा । दूरी संकेतांक 2 या 3 होगा ।
46.	7	24	3	ग्राम में सुविधा	क्या परिवार द्वारा नल के पानी को बोतलों में भर कर रखना, बोतल का पानी माना जायेगा ?	नहीं । उसे नल का पानी माना जायेगा (संकेतांक : 02)
47.	7	25	3	ग्राम में सुविधा	प्रतिदर्श ग्राम के भिन्न भागों में भिन्न प्रकार का मल-जल निकास व्यवस्था है,	जिस प्रकार की मल-जल निकासी व्यवस्था अधिकांश क्षेत्र में है, उसे लिया

क्र.स.	खंड	मद	कॉलम	विषय	प्रश्न	उत्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					जैसे कहीं पर - पक्का ढका हुआ, कहीं पर - पक्का खुला हुआ, और कहीं पर खुला कच्चा, तो उपयुक्त संकेतांक क्या होगा ?	जायेगा और उपयुक्त संकेतांक की प्रविष्टि की जायेगी ।
48.	7	25	3	ग्राम में सुविधा	यदि ग्राम के अधिकांश परिवार खुले पक्का मलजल निकास का प्रयोग करते हैं, जबकि उस ग्राम में भूमिगत मलजल निकास जो ग्राम के नाली को मुख्य नाली से जोड़ती है, की सुविधा उपलब्ध है; तो इस प्रकार के मलजल व्यवस्था के लिए क्या संकेतांक देना है ?	संकेतांक 1 दिया जाए क्योंकि ग्राम में यह सुविधा उपलब्ध है ।
49.	7	26	3	ग्राम में सुविधा	यदि ग्रामीणों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकांश बिजली के कनेक्शन अनधिकृत/अवैधानिक हैं, तो उन्हें क्या बिजली का कनेक्शन प्राप्त माना जायेगा ?	हाँ, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा इस सुविधा का उपयोग किया जा रहा है ।
50.	7	26	3	एमजी नरेगा में अंशग्रहण	क्या चयनित प्र.च.इ. के ग्रामीणों द्वारा एम.जी. नरेगा कार्य में अंशग्रहण केवल चयनित ग्राम तक ही सीमित है ?	नहीं, चयनित प्र.च.इ. के ग्रामीणों द्वारा एम.जी. नरेगा कार्य में किसी भी पड़ोसी ग्रामों में अंशग्रहण पर भी विचार किया जाना है ।
51.	7	27	3	एमजी नरेगा में अंशग्रहण	प्रतिदर्श ग्राम में वास करने वाले एक व्यक्ति ने अपने पिछले सामान्य आवास स्थल पर एम.जी. नरेगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया है । किसी भी अन्य ग्रामीणों ने एम.जी. नरेगा कार्य में हिस्सा नहीं लिया है । उस ग्राम के लिए इन मद में क्या प्रविष्टि होगी ?	इस ग्राम के लिए संकेतांक 2 दिया जायेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस ग्राम के एक ग्रामीण की हैसियत से एम.जी. नरेगा कार्य में भाग नहीं लिया है ।